खण्ड-318, अंक-9
गुरूवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1897
(7 अगस्त, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	703–707
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	..	..	707
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..		..	707–708
उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..		..	708
नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करने के विषय में केन्द्र को विधि बनाने का अधिकार देने के सम्बन्ध में संकल्प (पारित)	..		..	708–731
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	..	..	731
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 (पारित)	..		..	731–736
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975 (पारित)	..		..	736–737
उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 (पारित)	..	..	..	738–743
नत्थियां	..	..	..	744–766

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 7 अगस्त, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--314

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर,' श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसास, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रेम दत्त, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री

बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनी राम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, श्री
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री

रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम वचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु, श्री (एडवोकेट)
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणिदुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव,; श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री

सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहन, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुव राज, श्री

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 744–756 पर)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमन्त्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में यह संस्तुति की है कि आज निम्नलिखित कार्य लिये जायं :---

"1---नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में केन्द्र को विधि बनाने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अन्तर्गत संकल्प पर विचार एवं उसका पारण।

2---निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :---

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975,

(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975,

(3) उत्तर प्रदेश पार्क, खेल कूद का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975।

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी उक्त बैठक में यह भी संस्तुति की है कि कल दिनांक 8 अगस्त, 1975 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार तथा उसका पारण हो और शनिवार, 9 अगस्त, 1975 को सदन की बैठक हो।"

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज सदन को श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम जिसकी सूचना आज सदन को अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमति प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12 (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिए, उक्त समिति के विधान नियम के नियम 12 (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नागर अचल सम्पत्ति-पर सीमा निर्धारित करने के विषय में केन्द्र को विधि बनाने का अधिकार देने के सम्बन्ध में संकल्प

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं —

"चूंकि यह विधान सभा समझती है कि नागर अचल सम्पत्ति की एक सीमा होनी चाहिए;

और, चूंकि ऐसी सीमा का आरोपण तथा उस सीमा से अधिक नागर अचल सम्पत्ति का अर्जन ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में संसद को संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है;

और, चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश, में उपरोक्त विषय संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिए;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा आरोपण तथा सीमा से अधिक ऐसी सम्पत्ति का अर्जन एवं उससे सम्बन्धित समस्त विषय अथवा तत्सम्बन्धी समस्त गौण और प्रासंगिक विषय उत्तर प्रदेश राज्य में संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिए।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस संकल्प को लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि लैन्ड सीलिंग के मामले में और लैन्ड सीलिंग के साथ ही साथ अर्बन सीलिंग के मामले में राज्यों को इस बात का अधिकार है कि वे इन दोनों कार्यों को कर सकती हैं और उसके साथ ही साथ जहां तक अर्बन सीलिंग का प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की यह राय है कि ऐसा कानून बनाया जाये जो केवल इसी राज्य में नहीं बल्कि सारे देश में पूरी तरह से लागू किया जा सके। उसमें यह भी स्पष्ट हो सके कि उस परिधि में और भी बातें लायी जा सकें। संसद को केवल इमरजेन्सी में संविधान की धारा 249 और 250 के मुताबिक अधिकार है कि वह उस कानून को बना सके। इसलिये हम अपने संविधान की धारा 212 के खण्ड 1 के अनुसार इस बात का अधिकार संसद को देना चाहते हैं कि संसद जो फैसला कर देगी या जो कानून बना देगी, उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश में पूरी तरह से लागू करे। चूंकि हम इस राय के हैं कि अर्बन सीलिंग के मामले में एक राय होनी चाहिए इसलिए हम यह अधिकार संसद को देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने जो संकल्प रखा है उसके अन्त में है "सम्बन्धित समस्त विषय अथवा तत्सम्बन्धी समस्त गौण और प्रासंगिक विषय उत्तर प्रदेश राज्य में संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिये।" यह विनियमित "होना चाहिए" होना चाहिये अथवा "हो" होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी इसको देख लें।

श्री प्रभुनारायण—

स्थिति यह है कि 'हो' होना चाहिए। "हो" में निश्चितता है।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है "हो" रखा जाये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने संसद को पावर देने की बात कही है वह स्वागत के योग्य है और मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं एक बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो कुछ अब तक हुआ है, हो रहा है। मान्यवर, आपको याद होगा कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्बन प्रापर्टी एंन्ड ट्रान्सफर के ऊपर रोक लगा दी थी। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बनारस के रहने वाले हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

आप भी तो वहीं के हैं।

श्री ऊदल—

जी, मैं भी हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप मुख्यत : हैं और वह प्रसंगत : हैं, क्या ? (हंसी)।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं इस बात का जिक्र कर देना चाहता हूं कि जो प्रापर्टी के ट्रान्सफर का आदेश देकर सरकार ने रोक दिया था उसका भी दुर्पयोग हमारे प्रदेश के लोगों ने किया है। श्रीमन्, आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान में 2 स्थानों की जानकारी तो मुझे है जहां प्रेसीडेंसी है एक स्थान और कोई है जहां लोग जाकर के कलकत्ता में और मद्रास में प्रापर्टी का ट्रान्सफर,

[श्री ऊदल]

बैनामे या बेचेनामें कर सकते थे और सैकड़ों लोगों ने इस काम को किया है। बनारस के लोगों ने भी किए हैं। इसके बारे में मैंने इशारा किया था। आज भी प्रापर्टी अर्बन एरिया को ट्रान्सफर हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और पिछले सत्र में भी मैंने इस बात को कहा था कि क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी? सिर्फ बनारस का ही मैं नाम लेता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप कलकत्ता और मद्रास से पता लगा लें जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। आपको तो मालूम ही है कि लैन्ड सीलिंग ऐक्ट की जो दुर्दशा हुई है, इस प्रदेश में ठाकुर हुकुम सिंह माल मन्त्री उस वक्त थे, उन्होंने जब प्रथम विधेयक पेश किया तो उन्होंने इसी सदन में, यह घोषणा की थी, आप उनके भाषण को निकलवा कर देखेंगे तो पायेंगे कि उन्होंने कहा था कि 29 लाख एकड़ जमीन निकलेगी। वह घटते, घटते, घटते, घटते मुश्किल से 1 लाख के ऊपर निकली और एक लाख एकड़ के नीचे ही बंट पाई तो फिर दुबारा संशोधित करना पड़ा। अब उसकी भी दुर्दशा हो रही है। लैन्ड सीलिंग के माध्यम से जो दुबारा संशोधन हुआ तो जो इस समय चकबन्दी हो रही है, उसके माध्यम से जहां-जहां हो रही है और दूसरी जगहों पर फर्जी ट्रान्सफर्स और दाखिल खारिज ए0 सी0 ओ0 द्वारा हो रहे हैं। एक बार मैंने सैकड़ों केसेज चकिया और चन्दौली के सरकार को रैफर किये थे लेकिन श्रीमन्, उनमें से एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई है और आज भी मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज भी इस सीलिंग के कानून की दुर्दशा की जा रही है। तो माननीय मन्त्री जी जिस भावना से, अच्छे उद्देश्य से और समता की भावना से कुछ करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि कहीं इसके साथ भी वैसा ही न हो जैसा कि लैन्ड सीलिंग ऐक्ट के साथ हुआ जो वर्ष 1959 में पेश हुआ और वर्ष 1962 से 1975 तक जिसकी दुर्दशा हो रही है। इसलिये मुझे शंका हो रही है कि मन्त्री जी की भावना और नीयत अच्छी होते हुए भी अगर सरकार इस पर कड़ाई से अमल नहीं करेगी तो सरकार की मंशा, अच्छी भावना और नीयत सब धरी की धरी रह जाएगी और इसका कोई फायदा इस देश की गरीब जनता को होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने समझा कि जो जरूरी बातें हैं, उनको सरकार के सामने रख दूं और सरकार कुछ होशियार हो जाय और मुझे उम्मीद है कि हमारे उप-नेता, माननीय नारायण दत्त तिवारी, मद्रास और कलकत्ता में जहां से रजिस्ट्रेशन होता है, और कुछ अन्य शहरों की भी जैसे बनारस आदि की, वहां से जानकारी प्राप्त करा कर, यदि वे इस माननीय सदन को सूचित करें और मुझे भी एक पत्र लिख कर सूचित करने की कृपा करें कि मैं सही हूं या गलत हूं।

इन बातों और भावनाओं के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है और माननीय ऊदल जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इसका समर्थन भी किया। बहुत दिनों से जो लोग समाजवादी व्यवस्था में अपना यकीन रखते हैं इस प्रदेश और देश के अन्दर बराबर मांग करते रहे कि सम्पत्ति पर किसी न किसी तरह की हदबन्दी की जाय और इसी मांग के चलते कांग्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यों में सीलिंग का कानून बनाया और अर्बन सम्पत्ति पर भी सीमा लगाना चाहा। कानून जिस ढंग से हमारे प्रदेश और देश में बनते हैं उनमें कुछ ऐसे ढंग से छूट दे देते हैं कि जो सम्पत्ति वाले लोग हैं वह किसी न किसी तरह से अपनी सम्पत्ति को बचाये रखते हैं। अभी आपने यह संकल्प पारित कर दिया लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहिये था कि शहरों में सम्पत्ति की सारी खरीद फरोख्त बन्द रहेगी। शहरों में जमींदारी नहीं खत्म हुई है और जितने पुराने लैंड लार्ड्स हैं उनकी शहरों में भी जमीनें हैं और जब वह देखते हैं कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाली है तो रजिस्ट्री तो बन्द है लेकिन 2-4 रुपये के स्टैम्प पर मुआहिदा लिखवाकर जमीनों को बेच रहे हैं। इसी संकल्प में वांछित सुधार करने की गुंजायश है। अगर आप समझते हैं कि संसद के जिम्मे यह काम दे रहे हैं तो आप किसी न किसी तरह से कोई आदेश निकालकर उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में जो आज जमीनों और मकानों की खरीद फरोख्त हो रही है। उस पर अंकुश लगायें तब तो इस संकल्प का कोई मकसद निकलेगा अन्यथा कोई मकसद नहीं निकलेगा।

इस संकल्प के जरिये मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शहर और देहात की सम्पत्ति में आप कोई अन्तर करने जा रहे हैं। शहर में रहने वाले ऐसे भी शहरी मिलेंगे जिनके पास मिल हैं, कारखाने हैं और साथ ही साथ सैकड़ों एकड़ के फार्म भी हैं। अर्थशास्त्र में चल और अचल सम्पत्ति की परिभाषा में जमीन, मकान और मिल, सभी आ जाते हैं। एक वाक्य का कोई कानून ऐसा बनाते कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में रहने वाला नागरिक इतने से ज्यादा सम्पत्ति नहीं रख सकेगा। इस संकल्प के जरिये आप केन्द्रीय सरकार से अपील करिये कि ऐसा कानून बनाये कि अधिक से अधिक इतनी सम्पत्ति हिन्दुस्तान का नागरिक चाहे वह किसी भी कोने में रहता हो, रख सकता है। शहरों में आज किसी के पास 50 मकान हैं तो दूसरी तरफ हजारों लोग फुटपाथ पर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। तो सम्पत्ति के मामले में एक निश्चित नजरिया होना चाहिये और आज समय आ गया है कि केन्द्रीय सरकार यह फैसला करे कि हिन्दुस्तान में रहनेवाला कोई भी नागरिक अधिक से अधिक कितनी सम्पत्ति रख सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रभुनारायण जी ने जो यह पेश किया है इसका मकसद यही है कि शहर और देहात की सम्पत्ति में अन्तर कायम रहे। इससे आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वह अपनी सम्पत्ति की चोरी कर के यथास्थिति कायम रखें और क्रान्तिकारी परिवर्तन इस समाज में न होने दें। तो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुये इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि संकल्प में वांछित सुधार करें जिससे इस बात की गुंजायश न रहे कि सम्पत्ति वाले अपनी सम्पत्ति को येन-केन-प्रकारेण कायम रख सकें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय ऊदल जी ने कहा, मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। साथ ही मान्यवर, जैसा अभी माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कुछ शंकायें रखीं, यह शंकायें निराधार नहीं हैं। हमारे सामने पिछले तजुर्बे हैं। हमने सन् 1962 में देहात का सीलिंग बिल पास किया। हमने देखा कि उसका क्या हस्र हुआ। हम आप सभी जानते हैं कि उसके अन्दर कितने लूपहोल्स रह गये, किस तरह से कानून का सरकारी अधिकारियों ने दुरुपयोग किया। मैं चाहता हूं कि जो सुझाव सरकार केन्द्र को दे रही है वह इस सदन को भी बताए।

मान्यवर, आज सबसे पहला प्रश्न यह है कि सीमा किस हद तक होना चाहिये। इसके बारे में अभी तक हमको कुछ नहीं बताया गया। कौन सी सम्पत्ति को आप ले रहे हैं यह भी आपने नहीं बताया। कितनी सीमा बांधना चाहते हैं यह भी हमें मालूम नहीं है। यह सब के बारे में जानकारी तो सदन को देना चाहिये। जो आधार आपने देहात के अन्दर रखे, ठीक वही आधार शहरों के अन्दर भी होने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बड़े-बड़े लोग, जिनके पास बड़े-बड़े महल आदि हैं, उनको आप रेजीडेन्सियल के नाम से छोड़ दें।

इसके अलावा मान्यवर, यह भी हमें पता नहीं कि जो सर्पलस सम्पत्ति होगी उसका क्या होगा? क्या आप उस सम्पत्ति को किरायेदारों को बांटेंगे जिस तरह से सीलिंग के अन्दर आपने किया था कि सीलिंग से जो जमीन देहात में निकलेगी वह भूमिहीनों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

वितरित कर दी जायेगी। सर्प्लस सम्पत्ति के बारे में न तो कुछ राज्य सरकार ने बताया, न केन्द्रीय सरकार ने ही। हम चाहते हैं माननीय मन्त्री जी इन बातों पर भी प्रकाश डाल दें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

28 वर्षों की आजादी के बाद भी आज हम यही देख रहे हैं कि हम कोल्हू के बैल की तरह से वहीं के वहीं चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारे यहां सरमायादार हैं वे ही छाये हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देहात में किसान की 3-4 बार सीलिंग हो चुकी है, मगर शहरी आमदनी की कोई सीलिंग नहीं बांधी गयी। एक आदमी शहर में डायरेक्टर भी हो सकता है, बड़ी-बड़ी जायदाद भी रख सकता है, अन्य सभी चीजें वह रख सकता है, उसकी आय का कोई ठिकाना नहीं है। जो अमीर थे उनकी सम्पत्ति और बढ़ती गयी, लखपती, करोड़पति हो गया, करोड़पति, अरबपति हो गया। इस आजादी के लिये हमने लोगों ने अपनी जानें नहीं दी थीं कि अमीर, अमीर होता जाय, गरीब, गरीब होता जाय। शहरी आमदनी पर भी एक हद मुकर्रर की जाय। उतनी सीमा रखी जाय जिससे कि एक परिवार अच्छी तरह गुजर कर सके। जब हम देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लाखों लोग रिक्शे चला कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और उधर सरमायेदार लोग बड़े-बड़े महलों में रह कर, कारों में बैठ कर चलते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हमारा समाजवादी समाज कब बन सकेगा। इसके लिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संकल्प में या तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करें कि इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाय और कोई सीमा मुकर्रर की जाय कि साल भर में या 6 महीने में उसके ऊपर अमल होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत समय के बाद शहरी सम्पत्ति--जो अचल सम्पत्ति है उस पर सीलिंग हो, इस तरह का एक संकल्प आज यहां पर माननीय मन्त्री जी ने रखा। इस संकल्प का समर्थन मैं करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह बात कहनी है कि यह बहुत देर से आया। और यह संकल्प रखने के बाद जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सम्पत्ति का हस्तान्तरण बहुत जोरों से होने लगा है किन्हीं तरीकों से। जैसा कि पिछले दिनों इस बात का शोर था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, चीनी मिल मालिकों ने चीनी कारखानों को खोखला बना कर रख दिया है और उसमें की सारी चीजें- अच्छी अच्छी मशीनें, और दूसरी चीजें जो स्टोर में मरम्मत वगैरह की थीं, उनको वहां से हटा दिया, वही सारी स्थिति इसमें भी होने वाली है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अचल सम्पत्ति के माने क्या है? अचल सम्पत्ति में मकान, जमीन, कारखाने, दूकानें ये सारी चीजें आनी चाहिये। और जो सीमा का निर्धारण होगा--तो सिर्फ आमदनी को लेकर होगा कि कितनी आमदनी है कितनी सम्पत्ति से यह सीलिंग लागू की जाय, इसका कोई विश्लेषण इस संकल्प में दिखलाई नहीं पड़ता है। जब माननीय मन्त्री जी ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया तो उन्होंने भी इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। तो इस बात का भी स्पष्टीकरण होना चाहिये कि अचल सम्पत्ति आप किसको मानते हैं, अचल सम्पत्ति में आप क्या-क्या ले रहे हैं। आमदनी के जो जरिये हैं जिनसे सरमायेदारी बनती है, विभिन्न जो उसके तरीके हैं, उनको आप तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, उस पर कोई नियन्त्रण लगाना चाहते हैं कि नहीं, और अगर आप उन पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाना चाहते हैं तो जिस तरह से लैन्ड सीलिंग ऐक्ट की छीछालेदर हुई है, और उससे कोई बहुत लाभ देहातों की गरीब जनता

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का नहीं हुआ है उसी तरह की स्थिति शहरों में शहरी सम्पत्ति की सीमा लागू करके पैदा की जा रही है और उसका वही नतीजा निकलने वाला है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि इसका जो मकसद है वह मेरे ख्याल से समाजवादी समाज के निर्माण की कल्पना है और यदि इस कल्पना को मूर्त रूप देना है तो सरमायेदारी को बिना तोड़े, जो कि शहरों में है, उसकी व्यवस्था को तोड़े बगैर आप ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अरबों-करोड़ों की सम्पत्ति आज शहरों के बड़े-बड़े लोगों के पास पड़ी है और जब उनसे आप इस सम्पत्ति को लेंगे तो उसका उपयोग किस तरीके से करेंगे, जनता के हित में उसका उपयोग कैसे करेंगे? कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, इसका भी इसके अन्दर स्पष्टीकरण होना चाहिये और इससे जो आपकी मंशा है वह मंशा कैसे पूरी की जा सकेगी?

मान्यवर, हस्तान्तरण के बारे में जैसा हमारे माननीय साथी ऊदल जी ने बनारस की बात कही वह बिल्कुल सही है बल्कि बड़े-बड़े शहरों में, गोरखपुर में भी इसी तरह से है और अब भी ऐसा हो रहा है कि साढ़े चार रुपये के स्टाम्प पर लोग अपनी जमीन बेचे दे रहे हैं। हस्तान्तरित किये दे रहे हैं। इस तरह की एक हवा है कि जो शहर के बड़े लोग हैं जिनको यह बात मालूम है वह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अध्यादेश इसके बारे में निकालना चाहिये कि किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं माना जायगा और इसका प्रचार भी हो जिससे जो लेने वाले लोग हैं वह भी इस बात को समझ जायें और उनको जमीन आदि लेने की हिम्मत न हो, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जबकि आप सारी सम्पत्ति पर सीमा लगाइये। चाहे वह देहात की हो, चाहे शहर की हो। आपको एक आमदनी की भी सीमा तय करनी चाहिये। एक लाख, दो लाख तय करें। जो भी तय करें उसको शहरों और देहातों में, दोनों में, समान रूप से वही सीमा होनी चाहिये। आप निर्ममता से सीमा लागू करें और मजबूत कदम उठायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस भावना को अमली रूप देनें के लिये वह निश्चित रूप से कदम उठायेगी। और हस्तान्तरण पर रोक तथा शहरों और देहातों में सम्पत्ति की सीमा के साथ आमदनी की सीमा भी निश्चित की जायेगी।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अनवार जमील--

ऐसा है, जनसंघ पार्टी तो भाग नहीं ले रही है लेकिन धर्मपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। जितना भी अपोजीशन है .....

श्री अध्यक्ष--

आप भी उधर ही बैठे हैं तो आपको क्या समझूं?

श्री अनवार जमील--

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता था कि यह किस हैसियत से बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या हो सकता है?

डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जनसंघ दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से इधर बैठा हूं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री श्रीश चन्द्र (जिला हरदोई)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा आरोपण का उसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, यह बात अधिकार सीमा में थी इसी प्रदेश के, लेकिन इस संकल्प द्वारा अधिकार दिया जा रहा है केन्द्र सरकार को कि वह इसके ऊपर कोई विधान बना दे। बहुत दिनों से इसकी बात चल रही है कि नगर सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जायगी। लेकिन बार-बार इसको टाला जा रहा है। यद्यपि संकल्प तो समाजवादी है लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे शंकायें हैं और वह यह है कि केन्द्रीय सरकार को अधिकृत किये जाने के पश्चात् यह और भी टाला न जाय। जिस तरह से शुगर मिल्स के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न था और वह केन्द्रीय सरकार को दे दिया गया और कहा गया कि यह केन्द्र की अधिकार सीमा में है, इसी तरह से कहीं ऐसा न हो कि नागर अचल सम्पत्ति सीमा आरोपण भी इसी तरह से टल जाय जिस तरह से शुगर इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण टल रहा है।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में मेरी शंका यह है कि यह बड़े-बड़े लोग जो शहरों के रहने वाले हैं जिनके पास मकानों के अलावा बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज व बिजनेस हाउसेज हैं जिसके अन्दर करोड़ों की सम्पत्ति है उनका भी प्रश्न है सिर्फ मकानों के जो मालिक हैं उनके लिये ही इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिये बल्कि जो बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको भी इसके अन्दर लेना चाहिये। यह कहना कि गोदाम बना है, इसलिये उसको इस सीमा से मुक्ति दे दी जाय। यह उचित नहीं है, इसको भी सीमा में लेना चाहिये। यह मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी करोड़ों रुपये का मालिक हो जिसके पास इन्डस्ट्रीज तथा बिजनेस हाउसेज हैं उनको इस सीमा से मुक्त कर दिया जाय। कानून ऐसा बनाना चाहिये जो सभी के लिये लागू हो।

मेरी एक और शंका है कि बड़े-बड़े होटल भी कहीं इस सीमा से न निकल जायं। जितने बड़े होटल हैं, 7 स्टार, 5 स्टार जिनमें लेविश लिविंग की सुविधा है। जहां करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, उसको भी इस सीमा के अन्तर्गत आना चाहिये। समाजवादी व्यवस्था में इन सबकी सीमा पर नियन्त्रण होना चाहिये। जिस तरह से आपने जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में, भूमि सीमा आरोपण के सम्बन्ध में एक न एक कानून बनाये हैं उसी तरह से नागर अचल सम्पत्ति सीमा आरोपण के लिये एक ऐसा विधेयक बनाना चाहिये। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी शंकायें हैं। अत: मन्त्री जी जब इस संस्तुति को भेजें तो यहां की भावनायें जो हैं उनको भी भेज दें। भावनायें यह हैं कि चाहे बड़े-बड़े भवन हों, चाहे बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हों बिजनेस हाउसेज हों, सिनेमा हों, और चाहे बड़े-बड़े होटल हों सब पर एक प्रकार का नियंत्रण हो और सीमा आरोपण हो। इसके साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, पिछली चौथाई सदी से जब से भारत वर्ष आजाद हुआ हमारे नेताओं ने उसकी तरक्की की राह पकड़ी। बड़ी-बड़ी योजनायें और बड़े-बड़े डैम बने, लेकिन इन्सान न बन सका जिससे भारतवर्ष शानदार बनता। इन्सान की वासनाओं में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरमायादारी आयी। बड़े-बड़े नेताओं ने कहा था कि हम भारतवर्ष के अन्दर व्यक्ति को एक समानता देना चाहते हैं जिससे हर व्यक्ति रोटी खाये और अमन चैन से जीवन गुजारे। इतने समय में भारतवर्ष का बजट बहुत बढ़ा है, नोट बड़े हैं जिससे हर व्यक्ति हजारों की गिनती करने लगा। लेकिन उसकी वासनाओं में आचार संहिता की बात नहीं आयी। किसी ने सोने को दबाया और किसी ने इन्डस्ट्री बढ़ाई जिससे व्यक्ति नीचे गिरा है। यहां की 20 करोड़ जनता अपनी हैसियत के नीचे जमीन और पत्थर पर सोती है। इसलिये जहां कृषि भूमि पर सीमा लगाई गयी है वहीं शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाना जरूरी है। परन्तु इतने अरसे तक लोगों ने अपनी-अपनी सम्पत्ति का इधर-उधर और अपने रिश्तेदारों के नाम निकाल दी। लेकिन इसके बावजूद नवाबों के नाम जमीन जंगलों की हैसियत से लिखी हुई है। जंगलों में मकान बनाते हैं और कोर्ट में जाकर उस जमीन पर कब्जा ले लेते हैं। इसलिये यह इस समय जरूरी है जबकि हम भारतवर्ष की तरक्की करना चाहते हैं। अत : ऐसे विधेयक को लाना जिससे सम्पत्ति की सीमा बांधी जा सके बहुत जरूरी है। अभी से सम्पत्ति की सीमा को बांधते हुये इतनी सख्ती कर दी जाय कि शहरी सम्पत्ति को लोग इधर-उधर बिखेर न सकें और जितनी सम्पत्ति मिल सके वह गरीबों में बांट दें जिससे छोटी कुटियों में रहने वाले ठीक से गुजर कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जो कार्यवाही आज की है उस कार्यवाही समेत यह संकल्प केन्द्र में जायेगा। इसलिये जो आपके परिपक्व विचार होंगे उनका प्रभाव होगा। जो श्रीशचन्द्र जी तथा और माननीय सदस्यों ने कहा उन सब की पूरी कार्यवाही वहां जायेगी। इस लिये इसकी जानकारी देना उचित समझता हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उसके द्वारा संसद को अधिकार दिया जा रहा है कि अर्बन सीलिंग के बारे में कानून बनावे। इसके बारे में यह दलील दी गयी है कि राज्य को शक्ति तो है लेकिन सारे देश में अर्बन सीलिंग के बारे में एक जैसा कानून बने इसलिये यह अधिकार संसद को दिया जा रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अर्बन सीलिंग की बात चाहे पार्टी के घोषणा-पत्र में हो या पब्लिक मीटिंग्स के भाषणों में हो, बार-बार कही जाती रही है। ऐसी चीज पर बार-बार घोषणायें होती रहें और कानून न बनाया जाय तो होता यह है कि वे लोग जो इसकी गिरफ्त में आने वाले होते हैं वह पहले से ही जानकारी कर लेते हैं और फिर उन चीजों की काट सोच लेते हैं और इस प्रकार गिरफ्त में नहीं आ पाते। मान्यवर, मैं एक बात मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आपको कौन सी हिचक है कि आप अपने यहां कानून बनाते। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आप लीड लेकर दिखाते और एक माडल कानून बनाते और जब सारे देश के लिए कानून बन जाता संसद से तो फिर उसमें उसके हिसाब से परिवर्तन कर लेते। मैं आपकी नीयत और मंशा से तो सहमति प्रकट करता हूं लेकिन मझे डर है कि जब तक आपका कानून बनेगा तब तक उसकी गिरफ्त में आने वाले लोग सारे मामले निपटा चुके होंगे। दूसरी बात यह है कि अरबन सीलिंग में कौन-कौन सी सम्पत्ति आयेगी। जैसा कि माननीय काशीनाथ जी और नेगी जी ने कहा तो सारी की सारी चीजें उसमें आती हैं रेजीडेन्शियल हाउस से लेकर कारखाने तक। अगर आपने कारखाने के नाम पर छूट दे दी तो फिर बड़े-बड़े सरमायेदार और पूंजीपति बच जायेंगे। वह कहेंगे कि यह तो कारखाने का आफिस है और मैं तो एक कमरे में रहता हूं। आप इस पर भी विचार करें। जैसा ऊदल जी ने कहा कलकत्ता और मद्रास में ट्रान्सफर हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी संजीदगी से सोचें क्योंकि यही यहां भी होगा। सारे देश में आपकी पार्टी की

[श्री रामचन्द्र बक्श सिंह]

हुकूमत है। आप कानून बनाना चाहते हैं और सारे देश में एकरूपता लाना चाहते हैं तो आप अपने उच्च स्तरीय नेताओं से बातकर सकते थे कि आखिर यह कानून बनने वाला है तो सरकार की क्या पालिसी होंगी ? केन्द्र के नेताओं से बात करने के बाद आप अपना कानून ला सकते थे।

श्री अध्यक्ष---

बार-बार 'आप' 'आप' न कहिये।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

'आप' से मेरा मतलब मन्त्री जी से है। उनको चाहिये कि वह सेन्ट्रल हाई कमान्ड से यह समझ लें कि सेन्टर जो कानून बनाने जा रहा है वह कब तक पास होगा ? लेकिन एक आर्डिनेन्स इस तरीके का कि उसके बाद यह भी इंटेंशन आपका हो कि उसमें किसी तरह का ट्रान्सफर या गड़बड़ी न हो पाये ऐसा आना चाहिये। यह विधान सभा तो समाप्त हो जायेगी। उसके बाद फौरन आर्डिनेन्स के जरिये रेस्ट्रिक्शन लागू कर दें, वरना इस संकल्प का सही मतलब निकल नहीं पायेगा।

*श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

माननीय अध्यक्ष जी, यह संकल्प जो माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है यह अच्छा है। इसका उद्देश्य है कि सारे देश में एक तरह का कानून बने शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण करने का। पिछले कई वर्ष से इसके बारे में अखबारों में, विधान सभाओं और पार्लियामेंट में चर्चा होती रही है कि शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित होंगी, परन्तु **अभी** तक मूर्त रूप में कुछ भी सामने नहीं आया है। परिणाम यह हो रहा है, जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है कि सम्पत्ति किसी न किसी प्रकार से बिक रही है और जो उद्देश्य उसकी सीमा निर्धारण करने का हो सकता है वह कुछ घपले में पड़ने जा रहा है। इस बीच में दो तीन बार समय बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में प्रयास किया गया कि शहरी सम्पत्ति को न बेचा जाय। एक ओर जहां कुछ होशियार लोग और जो कुछ अपनी तरफ से तिकड़मबाजी कर सकते हैं वह तो सम्पत्ति को बेचने में सफल हो रहे हैं, दूसरी ओर जिनके पास थोड़ी सी है और आवश्यकता के लिये बेचते हैं, वह कठिनाई में पड़ रहे हैं। एक दफा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या ए0डी0एम0 वगैरह उसको अस्वीकार करते हैं तो फिर उसके बाद कोई अपील का प्राविधान नही है कि कहीं और जगह जा सके। एक तरह से अधिकारियों को एक-छत्र अधिकार इसमें प्राप्त हो रहा है। जो गलत आदमी हैं उनको गलत तरीके से अपना धन कमाने का जरिया प्राप्त हो सकता है---मैं लांछन नहीं लगाता, लेकिन क्यों विलम्ब करते हैं, क्यों किसी को देते हैं, क्यों किसी को नहीं देते हैं ?

इसके अतिरिक्त शहरों की आबादी बढ़ रही है, लोगों को आवास के लिए स्थान नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि वह जमीन दूसरे काम में लगा सकता है, आवास के काम में न लगावे। क्योंकि कहा जा सकता है कि अचल-सम्पत्ति और शहरी सम्पत्ति में कारखानों के लिए छूट होगी, सिनेमा हाल को छूट होगी, होटलों को छूट होगी। तो जिसके पास जमीन और मकान है वह उसको सिनेमा हाल या कारखाना या कम्पनी के नाम में परिवर्तित कर सकता है। तो जब तक यह छूट की सम्भावना रहेगी तब तक यह सम्भावना हो सकती है कि वह अचल नहीं प्राप्त हो सकेगी जिसकी आवश्यकता है। इसलिए जो भूमि उपलब्ध हो सकती है वह जल्दी से उपलब्ध हो सके ताकि शहरों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयां हल हो सकें। अगर इसमें विलम्ब होता है तो जिस प्रकार देहात की जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जो सीलिंग का कानून लागू हुआ उसका मंशा पूरा नहीं हो सका, उसी तरह से कहीं इसमें भी ऐसा न हो। क्योंकि चर्चा अधिक होने से जो होशियार लोग हैं उनको बच निकलने का एक समय मिल जाता है। हालांकि अभी यह प्रश्न नहीं है कि वह सम्पत्ति किसमें वितरित की जायगी। हो सकता है कि उसको नियोजित ढंग से शहरों में आवास की समस्या हल करने के लिये प्रयोग में लाया जाय। तो यह उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जैसा कहा गया है कि कानून में एक रूपता होनी चाहिये, सारे देश में, यह तो ठीक है, लेकिन जो संकल्प हम संसद भेजने जा रहे हैं, उसके साथ इस सदन की और मेरी भावना यह भी पहुंचा दी जाय कि यह कानून एक निश्चित समय के अन्दर बन जाना चाहिये, अति विलम्ब होने से हानि होने की सम्भावना है। इसलिये प्रार्थना यह है कि कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी इस पर विधेयक आ जाना चाहिए। ऐसी मेरी भावना केन्द्रीय सरकार के पास इस संकल्प के साथ पहुंचा दें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस सिलसिले में मैं एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि वह कृपा करके यह बतलायें कि सन् 1969 में पहली बार यह निश्चित किया गया था कि शहरी सम्पत्ति पर एक सीमा लगाई जायेगी, तो इन 5-6 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने क्या किया और जब से यह चर्चा आरम्भ की शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने की, तो क्या कोई विचार-विमर्श किया गया और किया गया तो किस परिणाम पर पहुंचे ? क्योंकि आज 1975 में फिर इस बात को कह रहे हैं कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा होनी चाहिये और उस सिलसिले में कानून में एकरूपता होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में आप संसद को कानून बनाने का अधिकार देने जा रहे हैं। तो मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि कृपा करके आप अपनी धारणा सदन को बतलायें कि इतने दिनों विचार-विमर्श के बाद हमारी शहरी सम्पत्ति की सीमा पर यह धारणा रही है।

इस सम्बन्ध में यहां यह भी उल्लेख कर देना उचित समझता हूं कि शहरी सम्पत्ति पर नियन्त्रण की बात जब हमारी पार्टी में उठी तो यह प्रश्न उठा कि 5 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की जाय। जितने सिनेमा हैं, जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, जितने बड़े-बड़े होटल हैं, वह सब इसके अन्दर आ जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस माननीय सदन की भावना और मेरी यह भावना को केन्द्रीय सरकार के पास इस सकल्प के साथ आप पहुंचाने की कृपा करें कि हम यह चाहते हैं कि किसी तरह की भूल-भुलैया में डालकर बड़े-बड़े लोगों की सम्पत्ति, जिनको मैं जानता हूं कि दो करोड़ रुपये की लागत का होटल बना है, वह न निकलने पायें अन्यथा शहरी सम्पत्ति की सीमा बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले रायल ब्रिटिश कमीशन फार डिस्ट्रीब्यूशन आफ नेशनल वेल्थ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसमें उन्होंने सन् 1939 से 1974 के आंकड़े पेश किये हैं और बताया है कि 1 प्रतिशत लोगों के पास नेशनल वैल्थ का 25 प्रतिशत इकट्ठा है। मैं कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में जहां-जहां पार्लियामेंटरी पद्धति की सरकार है और उन्होंने शहरी सम्पत्ति के निर्धारण का कानून बनाया है वह बड़े पैमाने पर असफल हुआ है।

जब हम लोग देहातों में जाते हैं चुनाव के सिलसिले में, और अब भी जब जाते हैं तो बड़े-बड़े काश्तकार यह कहते हैं कि हमारे लिये जमीन की सीलिंग के लिये आपने 3-3 ऐक्ट बना दिये, लेकिन क्या वजह है, विधान सभा को अधिकार होते हुये भी, जो अब आप संसद को देने जा रहे हैं इस संकल्प के द्वारा, इतने लम्बे अर्से के बाद भी शहरी सम्पत्ति पर कोई

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

सीमा अब तक निर्धारित नहीं की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आप इस संकल्प की बात करते हैं, साथ ही वायदे भी लम्बे-लम्बे करते रहे हैं और यह कहा जाता है कि प्रस्ताव तो हम कांग्रेस की सभाओं में पास कर दिया करते थे लेकिन जो लोग सत्ता में बैठते थे उनको लागू नहीं करते थे। 6 साल का पिछला वक्त इस बात का गवाह है दुनिया के दूसरे मुल्कों पर अगर आप निगाह डालेंगे लैटिन अमेरिका तथा एशिया पर निगाह डालेंगे तो देखेंगे कि जहां जनतान्त्रिक परम्पराओं के जरिये समाज पर शीघ्र असर डालने की कोशिश नहीं की गयी, तो वे फेल कर गयी जैसे चिली में चुनी हुई सरकार को उखाड कर फेंक दिया गया क्योंकि जहां जन असन्तोष फैल रहा था उसका फायदा गलत ताकतों ने उठाया। इसी तरह के अगर यहां भी यह सरकार बैठी रही तो आगे आने वाला इतिहास हमको क्षमा करने वाला नहीं है और न अवसर देने वाला है। इन शब्दों के साथ मैं बधाई दूंगा कि ऐसा शुभ संकल्प इस सरकार ने आज प्रस्तुत किया है। जल्दी से जल्दी इसे लागू करने की ओर कदम बढ़ाया जाय। जैसा ऊदल जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि जहां तक ट्रान्सफर का सवाल है प्रेसीडेंसी टाउन्स पर कोई रोक नहीं है। कलकत्ता दिल्ली तथा बम्बई आदि बड़े शहरों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश में हम रोक लगा ही सकते हैं। इस संकल्प को भेजते समय आप इस सदन की भावनाओं से केन्द्र को अवगत करा दें, यही मेरा अनुरोध है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह न हो सके। जो भूल-भुलैया है जैसे कोल्ड स्टोरेज, बड़े-बड़े होटल, सिनेमाघर तथा कारखाने इसकी पकड़ के बाहर न होने पावें, इन सारी चीजों पर भी सरकार ध्यान रखे।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)–

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह एक क्रान्तिकारी संकल्प है, समाजवादी संकल्प है और इसकी भावना अच्छी है। लेकिन एक बात मैं साफ-साफ मन्त्री जी से कह देना चाहता हूं कि 6 साल तक हम इस विचार का प्रचार करते रहे कि हम शहरी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, उसे खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उसे टालते ही रहे और विलम्ब करते रहे वह नहीं होना चाहिये था। जिस तरह से देहात में 18 एकड़ जमीन की सीमा निर्धारित की गयी उससे सवाई या ड्योढी मालियत की सीमा शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नियत होना चाहिये इससे अधिक नहीं और यह न हो कि कोल्ड स्टोरेज, सिनेमाघर बड़े-बड़े होटल तथा कारखाने इसमें से निकाल दिये जायं बल्कि दो अथवा तीन लाख रुपये की जो भी सीमा निर्धारित की जाय उससे ज्यादा जो सम्पत्ति हो वह मजदूरों के हिस्से में परिवर्तित कर वितरित कर दी जाय। यह भावना इस सदन की है इसे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रदर्शित की जाय। हम सीमा नहीं बांध सकते हैं परन्तु हमारी भावना आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार तक भेजी जा सकती है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश में, लगभग दो तिहाई जनता गरीबी की रेखा से नीचे की आमदनी पर गुजर-बसर कर रही है। ऐसा न हो कि कुछ आदमी तो ऐसे हों जिनकी आमदनी 6, 7 लाख रुपया हो और दूसरी ओर 7-8 आने रोज दैनिक आमदनी हो वह ज्यों की त्यों बनी रहे। इसकी सीमा 1 और 10, 1 और 5 अथवा 1 और 15 की सीमा से ज्यादा हर्गिज नहीं होनी चाहिये। इसके लिये भी जरूरी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली की कई बस्तियों में जब इन्कम टैक्स वालों ने सर्वे किया तो चांदी के सोफासेट, चांदी के पंलग और सारे के सारे कमरे एयर कन्डीशन्ड मिले और वह आय-कर से भी बचे हुए हैं। लिहाजा यह ध्यान रखा जाय कि किस की कितनी छिपी सम्पत्ति है उसे उजागर किया जाय और उसकी सीमा कायम करके जो अधिक सम्पत्ति पाई जाय उसे जब्त किया जाय या गरीबों में बांटी जाय जिससे कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। ऐसा न हो कि 1 और 10 की सीमा लगाने के बाद ढील-डाल दी जाय या सम्पत्ति की सीमा

की कीमत तय करने का काम उन्हीं भ्रष्ट इन्जीनियरों और ओवरसियरों को दिया जाय जो कि देश और प्रदेश का करीब-करीब 80 फीसदी रुपया ठेकेदारों के माध्यम से मिल कर खा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग ही मकानों और कारखानों की सीमा तय करने में अपनी जेब ही भरें। तो मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक ऐसी एजेन्सी कायम की जाय जो निष्पक्ष हो और जो निष्पक्ष रूप से सम्पत्ति की सीमा को तय करे और उसका मूल्यांकन करे। तभी सही माने में इस देश में सम्पत्ति का बंटवारा हो पायेगा। इन शब्दों के साथ, माननीय मन्त्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देहात के क्षेत्र से आया हूं। जैसा कि आज यह संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पारित करके भारत सरकार को भेजने की बात हो रही है उसी तरह से एक संकल्प देहात के लोग कहते हैं "उड़ा सतुवा विष्णवे नम:"। सिद्धान्त: यह संकल्प बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन मेरा कहना है यह है कि उड़े सतुवा विष्णवे नम : का यह संकल्प देश की स्तन्त्रता के 28 वर्षों के बाद लाया गया है जब कि भूमि की सीमा के लिये कानून बहुत पहले बना था। श्रीमन्, जैसा कि अभी हमारे भाई माननीय ओम प्रकाश (जौनपुर) ने कहा कि हमारी जमीन सोना उगलती है तो उन पर सीलिंग लगायी जाती है परन्तु बड़े-बड़े मिल वाले, पूंजीपति टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि हैं उन पर सीलिंग क्यों नहीं लगायी जाती है। सुनायी पड़ता है कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगायी जायेगी। आज यह संकल्प केन्द्रीय सरकार को भेजा जा रहा है। इसी तरह से गन्ने की मिलों के लिये भी केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया किन्तु आज तक गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। जब कि यह स्वयं का अधिकार है तो हम क्यों न उसको अपने उपयुक्त अधिकार में ले लें और यहीं पर सीलिंग आरोपित करें। यही मैं कहना चाहता था और आधे मन से इस संकल्प का समर्थन करता हूं। अपने उत्तरदायित्व से भागने का कारण मेरी समझ में यही आता है कि किसानों का कोई संगठन नहीं है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि किसान बेजुबान रहा है। भूमि की सीमा आरोपित करने में यह देखा जा रहा है कि 85 फीसदी कम भूमिवाले अथवा भूमिहीन किसान हैं, वे प्रसन्न हो जायं। उनसे वोट प्राप्त होता है। लेकिन जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जहां से रुपया आता है, जिनसे आजकल की राजनीति चलती है—कहा जाता है कि सर्वेगुणा कांचनम् आश्रयन्ति लेकिन मैं कहता हूं कि सर्वे दुर्गुणा कांचनम् आश्रयन्ति। कलयुग में सोने में हर गुण और दुर्गुण छिपे हुये हैं। उस धन को जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास है उसको छूने से घबड़ाते हैं। वह पैसा नाना प्रकार से, साफ तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम और आप और पूरा देश उस पैसे का उपयोग करता है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर काम करते हैं इसलिये हम घबराते हैं उन पर सीलिंग लगाने में।

तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि आप अब सीलिंग लगवा रहे हैं, क्यों आपने 28 वर्ष का समय बिता दिया। आप सीलिंग के लिए कह रहे हैं कि पूरे देश में एकरूपता रखी जाय इसलिए केन्द्र को आप यह अधिकार दे रहे हैं। लेकिन सम्पत्ति की सीमा कभी भी पूरे देश में एक नहीं हो सकती है। जो एक मकान से आपको आमदनी कलकत्ते में होगी तो उस मकान से आमदनी हमारे यहां लखनऊ में उतनी कभी नहीं होगी और इससे भी छोटे-छोटे कस्बों में और कम होगी। तो मेरा कहना है कि अपने प्रदेश के अनुसार उस सीमा को आप बांधें। इसमें मेरा कहना है कि आप शहरी सम्पत्ति में भी जो बड़े-बड़े कारखाने हैं बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं या बड़े-बड़े गोदाम हैं उनकी भी आमदनी को बांधें। इसी तरह सिनेमाघरों, कोल्ड स्टोरेज से जो आमदनी होती है और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस से जो आमदनी होती है और उसको भी सीलिंग के अन्दर लावें। केवल शहरी सम्पत्ति में जिसे शहरी जमींदारी कहते हैं उसी को

[श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी]

सीलिंग करने की बात नहीं है । मेरा कहना है कि आमदनी पर आप सीलिंग लगावें। आमदनी की सीमा को आप चाहे 1 से 10 या 1 से 15 जो भी पैमाना बनाये उसके अनुसार सीलिंग करें अब वही सीलिंग सारे प्रदेश में हो चाहे देहात हो या शहर हो उसमें एक रूपता हो।

मान्यवर, 18 एकड़ की सीलिंग पांच बार विचार तथा संशोधन करने के बाद आप लाये। 18 एकड़ जमीन जो आपने देहात के लिये रखी है उसमें एक एकड़ का 5 हजार या 6 हजार की मूल्य का हिसाब लगावें तो 18 एकड़ के हिसाब से 90 हजार या सवा लाख के अन्दर आमदनी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक यूनिट पर इतनी आमदनी दे रहे हैं। इसलिये शहरों में भी ऐसे ही आमदनी की बात को लें लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं । मेरा कहना है कि पूरे देश और प्रदेश में एकरूपता की बात करें। शहरी और देहाती दोनों प्रकार की सम्पत्ति की सीमा यदि एक समान बांधेंगे तो कुछ हल होगा और कहा जायेगा कि यह सार्थक है। तो मान्यवर, आप आमदनी को, अर्थव्यवस्था को सीमित कर और उस आमदनी को बांधे सारे देश में हर एक जन-जन की आमदनी को बांधें चाहे वह 1 और 10 या 1 और 15 हो, वह आप अपनी बुद्धि के हिसाब से करें अन्यथा वह उचित नहीं है कि किसी को अरबों और करोड़ों की आमदनी हो और बैठे-बैठे वह एक दिन में दो-दो और चार-चार लाख कमाये और ऐशो-आराम की जिन्दगी बसर करे जो देहात का किसान है या मजदूर है वह एक समय खाने के बगैर भी मरता रहे तो इससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए मान्यवर, मेरा कहना है कि आमदनी की सीमा को आप बांधे तभी आप समता और एकरूपता ला सकते हैं मैं समझता था आज आप डरते थे कि उन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से कि वे लोग नाना प्रकार से आपके कामों में रुकावट डालते थे क्योंकि उनके हाथों में अखबार थे, उनके हाथों में सारे प्रचार के तन्त्र थे वह जो चाहते थे, करते थे इसलिए उनसे आप डरते थे और हाथ नहीं डालते थे, और केवल किसानों पर हाथ डाल रहे हैं, मान्यवर, यह उचित नहीं था। अब यह ठीक है, आप देर आये दुरुस्त आए। तो केन्द्रीय सरकार से आप यह भी कह दें कि इस तरीके से सम्पत्ति की सीमा में, आमदनी अर्थात् अर्थ की सीमा आप बांधें, क्योंकि सम्पत्ति की सीमा आप बांध नहीं सकते हैं। इसके साथ हमें एक रूपता लाने के लिए 1–10 का अन्तर रखते हुए आप आमदनी की सीमा को बांधे । तभी तो समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी के सिलसिले में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। साथ ही साथ आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री और सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के 27 साल बीत जाने के बाद उन्हें यह सद्बुद्धि आई कि शहरी सम्पत्ति के ऊपर हदबन्दी होनी चाहिए। मान्यवर, लगता है, जब यह देश गुलाम था तो इसकी आजादी के लिए हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति ने, चाहे राजा हो, ताल्लुकेदार हो, जमींदार हो, किसान हो या मजदूर हो, अपना खून बहाया, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सर्वप्रथम इस सरकार ने राजाओं और जमींदारों की ताल्लुकेदारी और जमींदारी को खत्म किया और फिर किसानों के ऊपर उसने आखिरी तलवार चलाई, उनकी भूमि की हदबन्दी 18 एकड़ करके। लेकिन यह विचार करने की बात है कि राजाओं के स्तर के बड़े-बड़े पूंजीपति टाटा-बिड़ला जैसे आदमी, बचे रहे गये। आजादी के इन 27 वर्षों में उनके ऊपर एक बार भी कोई किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार की सीलिंग नहीं लगाई गई। यह हमारी समाजवादी व्यवस्था है, यह हमारी समाजवादी सरकार है, उसमें यह विचार करने का गम्भीर विषय है। उचित तो जब होता कि जब देश आजाद हुआ और राजाओं को राज-पाट खत्म किया गया, ताल्लुकेदारों और जमींदारों की जमींदारी और ताल्लुकेदारी खत्म की गई, उसी अवसर पर पूंजीपतियों की पूंजी ली गई होती, तो सम्भवत: किसी को नागवार न लगता। मान्यवर, हम जैसे लोग जो किसानों के बीच से चुनकर आए हैं और उनके वोट लेकर आए हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही खराब हो जाती है। जब जमीनों की हदबन्दी की गई और वही शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी नहीं की गई तो हमसे हमारे वोटर्स जवाब-तलब करते हैं किन-किन किसानों की जमीन ली जाती है तो फिर आपकी सरकार पूंजीपतियों पर उंगली क्यों नहीं उठाती है? क्या यही आपकी समाजवादी व्यवस्था है? जब साधारण आदमी इस तरह का प्रश्न करते हैं तो इन्हें उत्तर देने के लिये हमारे पास कोई सन्तोषप्रद बात नहीं रह जाती है। मैंने बड़े-बड़े केन्द्र और प्रदेश के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में जानने का प्रयत्न किया, लेकिन हमें कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता है। मुझे खुशी है कि राजस्व मन्त्री और वित्त मन्त्री जी यहां बैठे हैं, वे बधाई के पात्र हैं, उनके दिलों दिमाग में 27 वर्ष बाद ऐसी सद्बुद्धि आई है--देर आए दुरुस्त आए। उच्च स्तर पर विचार किया जाए कि ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य होता है। जहां दिल्ली और बम्बई जैसे नगरों में एक-एक मजदूर खाने के लिये मरता है, वहीं टाटा-बिड़ला जैसे पूंजीपति एक-एक दिन में हजारों-लाखों रुपये की आमदनी करते हैं। क्या यह केन्द्र और प्रदेश की सरकार को नहीं दीखता है? जैसा कि यहां हमारे कुछ साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं आपकी सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, वह इन पूंजीपतियों से भयभीत है और उनसे डरती है। यह अनुचित है कि ये 25 प्रतिशत और उससे भी कम लोग 75 प्रतिशत लोगों पर हावी हैं इसके लिये हमारी गवर्नमेन्ट को उचित कदम उठाना चाहिये नहीं तो यह दुख की बात होगी।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे विधान सभा के सदस्यों की भावनाओं से केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दें कि हम सब यह चाहते हैं कि जो आपने किसानों की जमीन की 18 एकड़ हदबन्दी की है। इसकी कीमत के आधार पर शहरी सम्पत्ति की भी सीमा होनी चाहिए। इसमें 1-2 या 1-3 का अन्तर करना उचित नहीं होगा। जो अन्न शहर के लोग खाते हैं वही अन्न देहात का किसान मजदूर भी खाता है। जो शहर का व्यक्ति अपने लड़के को पढ़ाना लिखाना चाहता है, देहात का किसान मजदूर भी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एस0 पी0, चौकीदार बनाना चाहता है। इसमें किसी प्रकार का अन्तर होना उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से जमीन की हदबन्दी की गयी है, चाहे राजा रहे या छोटे या बड़े सब लोगों ने आपके कानून का दिल से समर्थन किया और स्वागत किया। आपके कानून और आदेश का पालन किया। उसी तरह से शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी कर दें जिसमें चाहे देहात का किसान हो या शहर का पूंजीपति हो किसी प्रकार का अन्तर न हो। हमारे कुछ टेक्निकल भाई काशीनाथ मिश्र और भाई ओम प्रकाश ने माननीय राजस्व मन्त्री को सुझाव दिया कि जो आप कानून बनाना चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ नुक्स जरूर छोड़ देते हैं जिससे पूंजीपति या जमीन वाले अपनी जमीन बेचने की कोशिश करते हैं, शहर में शहरी सम्पत्ति बेचने की कोशिश करते हैं। मैं राजस्व मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि आप अपने कायदे कानून की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लें, और ऐसा मौका न दें कि शहरी सम्पत्ति को बेचने के लिए कोई कानून में आप छूट दे दें। तो कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है। यह आपकी सरकार बधाई की पात्र है कि आप शहरी सम्पत्ति देहाती सम्पत्ति की हदबन्दी के लिये कानून बनाने जा रहे हैं। थोड़े से व्यक्ति जमीन के मालिक हैं, शहर की सम्पत्ति के। लेकिन आपके देश के अधिकांश लोग मजदूर हैं जिनको खाने पीने का ठिकाना नहीं है। मैं इस व्यवस्था का आदर करता हूं कि हदबन्दी

[श्री जगन्नाथ चौधरी]

करके उन लोगों को जमीन दी जाय जिनके पास नहीं है। उसी तरह से शहर की सम्पत्ति की हदबन्दी करने की व्यवस्था की जाय जिससे वास्तव में समाजवादी व्यवस्था आपके देश का हर व्यक्ति कहने का हकदार हो सके। यही मैं आप से प्रार्थना करते हुए माननीय राजस्व मन्त्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उनको उसके लिये बधाई देते हुए इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो इस सदन में नागर अचल सम्पत्ति की सीमा के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसका स्वागत करता हूं। दरअसल यह एक कांग्रेस की नीतियों का एवं समाजवादी दिशा में बढ़ने का एक ठोस कदम है। इसके साथ ही साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपनी शंकायें जाहिर कीं हैं, वह शंका कुछ मुझे भी हैं। नागर अचल सम्पत्ति और ग्रामीण सम्पत्ति में थोड़ा ही अन्तर होना चाहिये। यहां तक कि मैं यह चाहूंगा कि यह अन्तर बिलकुल न होना चाहिये। शहरों की सम्पत्ति जो है, बड़े-बड़े शहरों में और छोटे-छोटे शहरों मे अलग-अलग प्रकार से होगी। मान्यवर, एक बात मैं इस सदन के सामने लाना चाहूंगा जो इस संकल्प में आयी है। वह यह है कि अभी दो वर्ष पूर्व यहां पर हर जगह बड़े-बड़े शहरों में सम्पत्ति ट्रान्सफर करने का प्रतिबन्ध लगाया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि मेरी नालेज में ये चीजें आयी हैं कि जिन लोगों की जमीनें थीं, बड़े-बड़े शहरों में लैन्ड लार्ड्स थे उन्होंने अपने हिस्से की जमीन ट्रान्सफर करवा ली लेकिन छोटे-छोटे लोग नहीं करवा पाये। इस भेद को भी समाप्त करना होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संकल्प के माध्यम से हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा, बड़े-बड़े सम्पत्ति वालों को छूट दे रही है। उसको भी समाप्त करना चाहिए ऐसा हमारा कानून नहीं होना चाहिए जिससे जो हमारा बड़ा वर्ग है, धनी वर्ग है, उसको फायदा पहुंचे। कानून ऐसा बनाना चाहिये जिससे छोटे लोगो को फायदा हो। आज हम इस बात पर कृत संकल्प हैं कि नगर की सम्पत्ति पर सीमा बांधेंगे। यह हमारा अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि जो छोटे-छोटे लोग हैं उनका हक न मारा जाये। इस बात की आपको व्यवस्था करनी होगी, जो गरीब और छोटे वर्ग के लोग हैं उनका हक बना रहे।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोगों की जो प्रापर्टी ट्रान्सफर हुई है उसको भी कैंसिल कर दिया जाये। इस तरह का भी प्रस्ताव संसद को भेज दिया जाना चाहिए। तो मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की शंका है, आज इस विधेयक के बारे में श्री ऊदल जी ने कहा कि बहुत से लोगों ने अपनी प्रापर्टी को बाहर जाकर ट्रान्सफर करवाया। मुझे इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा और जब संसद को यह संकल्प भेजा जाये तो यह भी प्रस्ताव भेज दिया कि जिन लोगों ने अपनी प्रापर्टी को बाहर जाकर ट्रान्सफर किया है उसके सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था की जाये। इस तरह से जो लोगों ने लाखों रुपये कमाया है उसको रद्द भी करना चाहिए। ताकि वह जमीन हम गरीबों को बांट सकें और मध्यम वर्ग के लोगों को दी जा सके। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो यह संकल्प माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है वह समाजवादी इतिहास में नया कदम है और इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया अपनी बात रखने को। अभी राजस्व मन्त्री जी ने जो यह नागर सम्पत्ति विधेयक हमारी सरकार संसद में पास कराने का विचार करती है और यहां का अधिकार पार्लियामेंट को दे रही है, उसका में अनुमोदन करता हूं। मान्यवर, मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूं कि सभी बातों को जान सकूं। आपने देहात में जो जोत हदबन्दी कानून पास किया था वह तो इसी सदन में पास किया गया था, तब मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता है कि अर्बन सीलिंग का कानून पास करनें के सम्बन्ध में आपके सामने क्या कठिनाई आ गयी और आप उसे पार्लियामेंट से पास करवाने जा रहे हैं। अगर यह कानून यहां पर पास कराया जाता तो अगर उसमें कोई त्रुटि होती तो उसका सुधार किया जा सकता था, लेकिन पार्लियामेंट से पास होने पर इस तरह की सुविधा नहीं रह जायेगी कि हम उसमें त्रुटि होने पर उसको सुधार सकें।

मैं श्रीमन्, कह देना चाहता हूं कि 27 वर्षों में आपने किसानों की जमीन की हदबन्दी की और उसका कानून पास किया, लेकिन गांव वालों में यह भ्रम है कि आप 18 एकड़ से उसको कम करके साढ़े बारह या दस एकड़ करने जा रहे हैं। देहात का किसान भयभीत है और आप शहरी सम्पत्ति पर सीमा का कानून पास नहीं कर पाये हैं। अभी तो आप पार्लियामेंट को ही सुपुर्द कर रहे हैं। एक बात कही गयी कि यह इस लिये किया जा रहा है कि कानून में एक रूपता रहे। मैं कहना चाहता हूं कि ला एन्ड आर्डर में एक रूपता की बात तो समझ में आती है लेकिन सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह बात जंचती नहीं है। बम्बई और दिल्ली की सम्पत्ति का कानून लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में लागू नहीं होगा। लखनऊ में जो मकान होगा, दिल्ली के मकान से उसकी कीमत कम होंगी और इसी प्रकार से सम्बई में जो मकान होगा उसकी कीमत दिल्ली के मकान से ज्यादा होगी। तो उसमें एक रूपता का प्रश्न कैसे होगा, उसका स्पष्टीकरण इस सदन में होना चाहिये। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि वे इस बात की स्पष्ट घोषणा करने की कृपा करें कि जब तक शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी नहीं हो जायगी तब तक देहात की जोतों के लिये भी कोई कानून न लाया जायगा। अगर माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन नहीं देते हैं तो ग्रामीण जनता में, गरीब जनता में और खेतिहर मजदूरों में जो आज असंतोष बढ़ रहा है वह शांत नहीं होगा।

मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और सदन के सामने लाना चाहता हूं कि आपने जो जोत हदबन्दी कानून पास किया था उससे जो फाजिल जमीन निकली थी और जिसको आपने भूमिहीनों में वितरित किया था, उसका आपने कोई पैसा नहीं लिया है तो उसी प्रकार से शहरों में जो फाजिल सम्पत्ति निकलेगी क्या उसमें भी यही पैटर्न रहेगा या किसी और तरह का। पैटर्न रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि अगर उसमें कोई भेदभाव रहा या विषमता रही तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में यह खांई और चौड़ी होंगी, कम नहीं होंगी। तो जो बची हुई सम्पत्ति हो उसे शहरों के गरीब लोगों में वितरित किया जाय और उसमें जो मुआविजे की धनराशि रखी जाय वह इसके अनुरूप हो।

इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मुख्य संकल्प पर बोलने का मौका दिया। चूंकि हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत नहीं है, बल्कि एक संकल्प ही प्रस्तुत है, यह विधान सभा यह आशा करती है कि केन्द्रीय सरकार शहरी सम्पत्ति के सीमांकन में सीमा निर्धारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

में जल्द से जल्द कोई ऐसा विधेयक पारित करे जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में, समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हो। मान्यवर, यह बहुत बड़ी दूरी नहीं है, बहुत बड़ा समय नहीं, इसके पहले यह सोचा जाता था कि जो राजा है वह भगवान का अवतार है और उसके बेटे को राज्य करने का अधिकार है। जो सम्पत्ति जिसकी है वह जन्म के साथ उसे प्राप्त हुई है चाहे वह कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, उसकी मान्यता, उसके कर्म कैसे ही हों वह एक रईस के घर में जनमा है। आजादी के बाद कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह था कि लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इस देश में जिसकी सम्पत्ति है, उसकी अपनी नहीं है वह भारत की करोड़ों जनता की है और उसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने जन्म के साथ अरबों के मूल्य की करोड़ों के मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त की है, उसका उस पर अधिकार नहीं है बल्कि उस पर जनता का अधिकार है। हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर विचार किया, एक ओर लोग दुःखी हैं और दूसरी ओर लोग सुखी हैं। "जग पीड़ित है चिर सुख से, जग पीड़ित है चिर दुःख से।" एक ओर मान्यवर, बड़े-बड़े रईस लोग हैं जो गरीब जनता का शोषण करते हैं और एक ओर वे गरीब लोग हैं जो नालियों के किनारे सो जाया करते हैं। सरकार की मंशा यह रही है कि चाहे शहरी सीमा हो या गांव की हो चाहे शहरी सम्पत्ति हो चाहे गांव की सम्पत्ति हो उसका वितरण करे और कमजोर वर्ग में वितरण हो। यह हमारी सरकार का एक अच्छा कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं और सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने एक अच्छा संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किन्तु मान्यवर, चूंकि यह विधेयक तो है नहीं कि जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकें हम तो केवल मात्र अपने विचार भेज सकते हैं केन्द्रीय सरकार को इस सदन के माध्यम से। इसमें उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश भर की करोड़ों जनता की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जल्दी संभव हो, सीमा हो जानी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि अगर आपात स्थिति को आज से 5 साल पहले लागू करते तो जो समय नष्ट हुआ है, लोगों का आत्मविश्वास गिरा है, जो विद्या के स्थानों को नगाड़ा बजाने का नारों का एक आंगन बना दिया गया वह न होता। वह केवल विलंम्ब की वजह से हुआ। तो हम यह आशा करेंगे कि यह विधेयक केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी प्रस्तुत कर देगी जिससे हमारी करोड़ों की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

सब सदस्यों ने अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं, मेरी भी एक शंका है। हो सकता है कि शहरी सम्पत्ति मेरी घरवाली के नाम पर और गांव की मेरे नाम पर रहे और कुछ सम्पत्ति मेरे लड़के के नाम और कुछ लड़के की घरवाली के नाम पर हो। लिहाजा यह देख लिया जाय जब हम शहरी सम्पत्ति का सीमांकन करें, कि क्या गांव में भी उसकी सम्पत्ति है? मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आमंत्रित करते हुए कहूंगा कि ऐसी दशा में गांव की सम्पत्ति को भी ध्यान में रखकर सीमांकन करें और अगर गांव में इस सम्पत्ति से अधिक होगी तो वह भी कुर्क कर दी जानी चाहिये। इसी प्रकार से हो सकता है कि अनेक प्रकार की सम्पत्तियां हों। कारखाना हो सकता है, होटल, क्लब हो सकता है। ठेका करते हैं लोग, लेकिन अपने नाम पर नहीं। किसी 200 मील दूर गांव के आदमी के नाम से कर लेते हैं और उससे बरतन मंजवाते हैं, रोटी पकवाते हैं और ठेका लेकर के कमाई करते हैं। सम्पत्ति इस शहर में है, दूसरे शहर में भी हो सकती है। इस शहर में मकान के रूप में है तो दूसरे में कम्पनी के मालिक या शेयर होल्डर के रूप में हो सकता है अथवा किसी परिवार के अन्य सदस्य के नाम से हो सकती है।

तो जिस तरह से आपने राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया और उससे हमको एक बड़ा बल मिला और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जिस प्रकार से हमको बल मिला है, आपातकालीन स्थिति की घोषणा ने जिस प्रकार बहुत बड़ा बल दिया है जनता को, तो शहरी सम्पत्ति का सीमांकन करने के विधेयक को अगर आपने अच्छी तरह से लागू किया तो उससे भी बड़ा आत्मबल जनता को मिलेगा। तो सम्पत्ति कहीं भी हो, जमीन के अन्दर, जमीन पर या जमीन से कुछ

ऊपर वह सब नियंत्रित हो जाय ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को यहां पर प्रस्तुत करने के लिये अपनी सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष जी, मैं सरकार को इस संकल्प के लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन अध्यक्ष जी धन्यवाद सरकार को और अधिक मिलते, यदि यह संकल्प बहुत पहले आया होता।

अध्यक्ष जी, इस संकल्प में जो यहां माननीय सदस्यों के उद्गार हुए हैं, उसके अनुरूप नहीं हैं। कल वित्त मंत्री जी ने और आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पुराने समाजवादी हैं और दोनों मंत्री जो संकल्प पेश करने वाले भी पुराने समाजवादी हैं।

मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज जो हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं यह संकल्प उसके अनुरूप होना चाहिये। इसको वापस ले कर फिर से हाउस में रखे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप होगा। इस संकल्प में दो, तीन बातों का उल्लेख होना चाहिये था जिसके न होने से हमारे सदस्यों की भावनाये दिल्ली सरकार के सामने नहीं पहुंच पायंगी। दो ही रास्ते हैं। या तो यह संकल्प वापस लिया जाय और फिर से हाउस में लाया जाय या जो हमारे माननीय सदस्यों ने भावनायें प्रकट की हैं वह सारी भावनायें इसके साथ भेज दी जायं। संकल्प में एक समय नियत होना चाहिये। अगर आप समय नहीं बांधते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 28 वर्ष लगा दिये वैसे ही दिल्ली की सरकार भी वर्षों लगा सकती है और जिस उद्देश्य से इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया गया है वह खत्म हो जायेगा, और यह भावना खत्म हो भी गयी है। आप हिसाब लगायें कि आज शहरी क्षेत्र में कितनी जमीन बची है और आज से दस साल पहले जब आपने एलान किया था कि शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी की जायगी तब कितनी जमीन थी। सारी जमीन लोगों ने ज्यादा-ज्यादा पैसा ले कर बेच दी है। यही नहीं, इतनी बड़ी सम्पत्ति मकानों में लगी हुई है, उसको आप देखें। यह सारा आज का सदन समाजवादी विचारधारा का है। लेकिन हमारी सरकार को इसी पर तरस आना चाहिये कि हम सब लोगों ने संकल्प किया था कि खेत जोतने वाले को खेत मिलेगा और घर बनाने वाले को घर मिलेगा। लेकिन आज खेत जोतने वाले को खेत नहीं मिलता और घर बनाने वाले को घर नहीं मिलता। अन्य शहरों को आप छोड़िये, लखनऊ शहर को देखें। नालों के किनारे लोग झोपड़ी डालकर बसे हुये हैं। वर्षा में गन्दा पानी आता है और झोपड़ी बह जाती है। दूसरी तरफ दस मंजिला मकान में लोग रहते हैं। हमने समाजवादी समाज बनाने का संकल्प किया है। जब हम यह देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। यह संकल्प समाजवादी होना चाहिये था, परिवर्तनशील होना चाहिये था। लेकिन यह संकल्प ऐसा नहीं है। इससे शहरों में जो लाखों लोगों को राहत देने का इरादा है वह नहीं दे पायेंगे। आपको आमदनी की सीमा बांधनी पड़ेगी। वह भी इसमें नहीं है। देहात में आपने 18 एकड़ की सीमा बांध रखी है। 18 एकड़ जमीन की कीमत अधिक से अधिक 1 लाख रुपये है। शहरों में लाखों रुपये माहवार लोग कमाते हैं और उसकी सीमा सरकार ने नहीं बांधी है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि संकल्प का प्रारूप बदलना चाहिये या लोगों की जो भावनायें यहां व्यक्त हुई हैं वह केन्द्रीय सरकार के पास जानी चाहिये और समय बांध कर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करें कि 2–4 महीने के अन्दर बिल के रूप में यह सदन में प्रस्तुत हो। अगर 2–3 महीने के अन्दर यह बिल के रूप में प्रस्तुत न हो सका तो इस संकल्प का कोई मतबल नहीं रहेगा और जो हमारे शहरों में बड़े-बड़े लोग हैं वह अपनी सम्पत्ति को दूसरे तरीके से हटा देंगे और सरकार उस पर कब्जा नहीं कर पायेगी और सरकार की गरीब लोगों को राहत देने की जो प्रतिज्ञा है वह पूरी नहीं हो पायेगी।

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि या तो इस संकल्प को बदलें या इस सदन के सदस्यों की जो भावनायें हैं उनको भी इसके साथ दिल्ली भेंजें ।

*श्री विमलप्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संकल्प बहुत अच्छा है और उन नीतियों का कार्यान्वयन करने के लिये हैं जिन नीतियों में हमारी आस्था रही है। यह भी सही है कि यह कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिये था और इसमें काफी देरी हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसके हर एक पहलू पर गम्भीरता और गहराई के साथ विचार करना आवश्यक था ताकि इसके उद्देश्य कहीं विफल न हो जायें। यह थैलीशाह और पूंजीपति लोग अपने पैसे के बल पर कानून की कमियों का सदा लाभ उठाते रहे हैं और उनके कारण जो भी कानून बना वह विफल हो गया। इस लिये यह संकल्प भी कहीं विफल न हो जाय, इसलिये बहुत गम्भीरता के साथ विचार करना होगा और ऐसा कानून बनाना होगा जो सारे देश में लागू हो, उसमें एक रूपता हो। अलग-अलग प्रान्तों की अलग-अलग बातों पर विचार करना होगा। भारत जैसे देश में यह स्थिति बहुत दिनों तक बरदाश्त नहीं की जा सकती कि एक के पास तो 25-25 आलीशान मकान हों, दूसरी तरफ किसी के पास रहने को भी जगह न हो। लोग फुटपाथ पर सोते हों और उनके सर पर केवल आसमान का ही साया हो। एक सर-मायादारों का भारत हो, दूसरा गरीब लोगों का हो, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता। यह बात जो कहीं जाती रही है कि कांग्रेस सरकार थैलीशाहों और पूंजीवादी लोगों से डरती रही है, यह गलत है। आजादी के बाद से बराबर सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस ने थैलीशाहों पर ही पहुंचायी है। कांग्रेस सरकार ने जागीरदारों की जागीरदारी खत्म की, जमींदारी खत्म की, राजा महाराजाओं को खत्म किया। रेलवेज को अपने हाथ में लिया। बीमा कम्पनी को अपने हाथ में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वेल्थ टैक्स लगाया। यह सब सराहनीय काम किये गये हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। इस चीज के हर पहलू पर विचार करके ही इसका कार्यान्वयन होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि हदबन्दी करते समय फैक्ट-रियों को, होटलों को, कोल्ड स्टोरेज आदि को छोड़ दिया जाय। अगर ऐसा होगा तो कानून विफल हो जायेगा। हिन्दुस्तान के थैलीशाह और पूंजीपति कानून की कमियों का लाभ उठाने में बड़े सिद्धहस्त हैं। जनता को राहत देने वाले जो भी कानून बने, उन लोगों ने उसे विफल कर दिया। इसलिये आप ऐसा कानून बनायें जिसे वे विफल न कर पायें और उसका सही फायदा राष्ट्र को मिले। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इसमें थोड़ी देर लग जाय लेकिन सरकार को हर पहलू पर विचार करके ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे कि उसका मतलब विफल न हो जाय। इन अल्फाज के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस संकल्प को देखने के बाद एक बार यह महसूस होता है कि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 21 सूत्रीय कार्यक्रमों को अमली रूप देने के लिये यह सरकार कितनी तेजी से कटिबद्ध है। मैं ऐसा समझता हूं कि विधान सभा का यह सत्र आगे आने वाले इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र के रूप में लिखा जायेगा। अभी पिछले दिनों 21 सूत्रीय कार्य-क्रमों में दियेगये कुछ निर्देशों को अमली रूप सरकार ने दिया और आज इस संकल्प को प्रस्तुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करके यह सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध दिखलाई पड़ती है कि नये समाज की संरचना के लिये जो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संकल्प किया है, कितनी तेजी से यह सरकार उसको लागू करने के लिये कटिबद्ध है। जो नागर सीमा की अचल सम्पत्ति के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में इस सरकार ने संकल्प रखा है वह निश्चित रूप से ऐसे गरीब और कमजोर इंसानों के लिये है जोकि झोपड़ियों में रहते हैं। एक तरफ तो ऐसे कमजोर वर्ग के इंसान झोपड़ियों में रहते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऊंची और भव्य अट्टालिकाओं में रहते हैं। जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं वे इंसान के शक्ल में नहीं रह पाते। आज इस संकल्प को प्रस्तुत करके उस इच्छा को अभिव्यक्त किया गया है और निश्चित रूप से कमजोर और गरीब इंसानों के रहने के लिये मकानों के बनाने के लिये नयी दिशा और नया रूप देने के लिये यह शासन कटिबद्ध है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस संकल्प को केन्द्रीय शासन को भेजने के बाद यह मांग भी की जाय कि केन्द्रीय शासन इस संकल्प पर शीघ्रता से अमल करे और आपातकालीन स्थिति में जो लोगों में एक चेतना जाग्रत हुई है उस चेतना को लाभ मिले। और हर गरीब इंसान महसूस कर सके कि आज शासन वास्तव में समाजवाद लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस सम्बन्ध में एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा और वह यह है कि जब यह गरीब इंसान झोपड़ियों में रह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ दूसरे लोग भव्य अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, तो इस तरह के कुछ नियम बनें, इस तरह की कोई चीज आवे कि बड़े शहरों की अचल सम्पत्ति सीमा और छोटे शहरों की अचल सम्पत्ति की सीमा में कुछ अन्तर हो। जैसे भूमि के मामले में सिंचित और असिंचित जमीन में आपने फर्क रखा है, अलगाव रखा है, उसी तरह से बड़े शहरों की सीमा एक हो और छोटे शहरों की सीमा दूसरी होनी चाहिये। छोटे शहरों की सम्पत्ति सीमा निश्चित रूप से बड़े शहरों की सम्पत्ति सीमा से कम होनी चाहिये जिससे लोगों को बड़े मकानों और अट्टालिकाओं का यह अन्तर खटके नहीं।

शासन ने इस संकल्प को प्रस्तुत करके जनता में एक चेतना जाग्रत की है और दबी हुई जो जनता है उसकी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिये समाजवादी समाज की दिशा में बढ़ने का एक कदम उठाया है। 21 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिये यह सरकार जिस ढंग से प्रयत्न कर रही है उससे उत्तर प्रदेश की जनता को प्रेरणा मिलेगी और यहां के लोगों में जागरण आयेगा और लोगों में यह विश्वास आवेगा कि यह सरकार समाजवादी समाज की संरचना की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि केन्द्रीय शासन शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करेगा और इसका कार्यान्वियन भी शीघ्र से शीघ्र हो सकेगा।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो नागर अचल सम्पत्ति की सीमा का संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह संकल्प जो देश के पिछड़े वर्गों के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है, उनको ऊंचा उठाने के लिये लाया जा रहा है, इसको उन तक पहुंचाने की कोशिश की जायगी। यह बहुत क्रांतिकारी कदम है और इसके पूर्व भी बहुत से क्रान्तकारी कदम उठाये गये हैं चाहे वह श्रम बंधन हो, चाहे ऋण मुक्ति का हो या भूमि हीनों के लिये आवास की भूमि दिये जाने के बारे में हो, तमाम घोषणायें की गयीं हैं और विधेयक पास किये गये हैं और उनको झोपड़ियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पर शोषित पीड़ित समाज रहता है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत क्रांतिकारी कदम सरकार ने रखा है और मैं इसका स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इन घोषणाओं को इन संकल्पों को, इन अध्यादेशों को और विधेयकों को उन झोपड़ियों तक सरकार पहुंचायेगी जहां सबसे बड़ा शोषित और पीड़ित समाज रहता है। अध्यक्ष महोदय, देश में और प्रदेश में जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें पूंजी का अम्बार लगता चला जा रहा है और

[श्री रघुनाथ]

दूसरी तरफ झोपड़ियों में लोग दाने-दाने को मुहताज हैं। यह जो विषमता फैली हुयी है उसको दूर करने के लिये जो समाजवादी कदम उठाया गया है मैं बार-बार उसका स्वागत करता हूं और इन बातों को कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामसमुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर अभी भाषण तो बहुत हुये हैं, इस पर अब बोलने की बहुत गुंजाइश नहीं है परन्तु जैसे और हमारे भाइयों ने बताया कि जमीन के मामले में कई सीलिंग आयी लेकिन शहरों के मामले में, शहरी सम्पत्ति के मामले में सीलिंग आज आयी है। मैं कहता हूं कि आज भी बहुत देर नहीं हुयी है क्योंकि जब सम्पत्ति इकट्ठा ही न होती तो बंटवारा उसका क्या होता। जो शहरों में मकान बन गये हैं और तमाम होटल बन गये हैं सिनेमा घर बन गये हैं और तमाम चीजें बन गयीं हैं तो बिल्कुल ठीक समय पर जब सम्पत्ति इकट्ठा हुयी है तब उसके बंटवारे का समय आया। जमीन गांवों में तो पहले भी थी। बंट नहीं रही थी, कुछ लोगों के पास ज्यादा थी कुछ लोगों के पास कम थी, या नहीं थीं। लेकिन स्वराज्य के बाद के 27 वर्षों में देखा जाय तो शहरों मे सम्पत्ति 2 गुनी, 3 गुनी हो गयी लेकिन गांवों में उस हिसाब से सम्पत्ति नहीं बढ़ी। तो अब सरकार की निगाह गयी कि शहरों में सम्पत्ति का कंट्रोल किया जाय, सीमा लायी जाय, अंकुश लगाया जाय तो बहुत उचित समय पर यह बहुत उचित कदम है। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प तो पारित करती है लेकिन कहती है कि हमको अधिकार नहीं है तो फिर संकल्प क्यों पारित करती है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में बैठे-बैठे, ध्यान में यह बात आयी कि अगर यह सरकार कानून पास कर दे तो तमाम आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे और 5 साल के लिये इसको लटका देंगे जिससे सरकार की मंशा ढीली हो जायगी। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को जो अधिकार प्राप्त हैं उससे छू—मन्तर की तरह से वह कानून बना देगी और सारी चीजें जो हैं वह अपनी जगह पर ठीक हो जायंगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत सही समय पर यह आया है और जो कहते हैं कि कैसे चीजों का बंटवारा होगा, कैसे चीजें बटेंगी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी पर विश्वास करिये जैसे एक आर्डीनेन्स के जरिये उन्होंने भारत भर में शांति कायम कर दी "न गोली चली न ढाल, साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल" मैं कहना चाहता हूं कि न कहीं लाठी चली, न गोली चली, न भाले चले न तलवार चली केवल हजार पांच सौ आदमी जेलखाने में बंद हो गये और सारे भारत में शांति हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास रखें सब चीजें उनके पास हैं, कागज हैं, आंकड़े हैं, सब सामान है, सब ठीक हो जायगा। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है और जो पूरा करना चाहते हैं यह भी उसका एक कार्यक्रम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी शंका की भावना है वह नहीं होनी चाहिये क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि संशय का संसार में कोई स्थान नहीं है, अगर संशय करते रहियेगा तो कोई काम नहीं करियेगा। इसलिये एक युग आया है जिसमें संशय को निकाल दें। इन्दिरा जी जो काम करना चाहेंगी वह मिन्टों में कर देंगी। अतः इस संकल्प को भारत सरकार को तत्काल पहुंचा दिया जाय और वहां जल्दी ही यह पूरा हो जायेगा इसमें संदेह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है उसको मजबूती और दृढ़ता के साथ सदन पारित करता है और भारत सरकार के पास अपनी संस्तुति भेजता है।

*श्री प्रभुनारायण —

मान्यवर, इस संकल्प के संबंध में माननीय श्री ऊदल जी ने और दूसरे श्री काशी नाथ ने जो बहुत विद्वान हैं और उसके साथ—साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और पूरी रुचि उन्होंने दिखाई इसके लिये मुझे बहुत खुशी है। इस अवसर पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं केवल इतना ही ऊदल जी से कहना चाहता हूं कि मानता हूं कि वह काशी के मुख्य नागरिक हैं लेकिन दूसरे को गौण न बना दें। कम से कम 600 वर्षों से हम आबाद हैं, इसलिये अपने को ही काशी न समझ लें दूसरों को भी स्थान रहने दें।

श्रीमन्, इस मौके पर यह प्रश्न उठाया गया कि आखिर हमने उन चीजों की विवेचना क्यों नहीं की जिसके लिये हम चाहते हैं कि आज अर्बन सीलिंग के सिलसिले में जल्दी की जाय। प्रश्न यह है कि आज जब हम एकरूपता की बात सोचते हैं तो ऐसी सूरत में किसी चीज पर अपनी बात कहने की है और अपनी राय देने की बात है, तो वह कह चुके और राय देंगे। लेकिन संकल्प के अन्दर बात लाना अपनी जगह उचित नहीं होगा। एकरूपता की जो बात है ऊदल जी को और राम सुन्दर पांडेय जी तथा दूसरे सदस्यों को जानकारी है। लेकिन सीलिंग के बारे में एक रूपता नहीं रही है और यही कारण रहा कि किसी प्रदेश का लैन्ड सीलिंग प्रगतिशील नहीं रहा। आज भी बटाई का मामला बिहार में काबिज नहीं रहा। राम सुन्दर पांडेय जी तो उस आंदोलन से निकले हैं और उन्होंने कहा था कि जिस धरती पर जो जोतता और बोता है वह उसकी होगी।

सन् 1942 का जमाना याद होगा जब आन्दोलन में हम सब लोग पड़े थे। बड़े संघर्षों में हम सब भागीदार रहे हैं। उस मामले में कितने ऐसे सिकमीदार जो काबिज थे उनको आदिवासी और सीरदारी का हक मिला। मैं मानने को तैयार हूं कि पूरी तरह से नहीं मिला लेकिन इसके साथ-साथ जो इस प्रदेश का गरीब सिकमीदार था जो अपने खेतों पर काबिज था उसको आगे बढ़ाने का मौका मिला और जहां मजबूत नेतृत्व मिला वहां के सिकमीदारों ने कब्जा नहीं छोड़ा और जमीन पर काबिज रहे। और उनको अधिकार मिला। जहां ऐसा योग्य नेतृत्व नहीं मिला वहां की स्थिति दूसरी है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहना कि जमीन के मामले में कुछ नहीं हुआ यह उचित नहीं है। कमियां रही हैं, कमियां हैं और कमियां आगे न रहें इसके सुझाव देना उचित है। यह कहना कि उस संबंध में कार्यवाही नहीं हुई यह उचित बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब इस बात का फैसला किया और इस नीति का निर्धारण किया कि 18 एकड़ से ज्यादा किसी भी प्रदेश के अन्दर जमीन नहीं रहेगी एक परिवार के पास तब जाकर सारे देश के अन्दर जहां कांग्रेस की सरकार थीं वहां एकरूपता लाने का काम किया गया। लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं आयी तब तक एकरूपता नहीं हो पाई और लैंड सीलिंग के मामले में, जमीन के सिकमीदारों को हक देने के मामले में उत्तर प्रदेश आगे रहा और कुछ प्रदेश पीछे रहे लेकिन अब दूसरे प्रदेश भी तेज गति सेआगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी कमियां है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के साथ-साथ इस बात की आवश्यकता है कि देश के अन्दर एकरूपता लैंड के मामले में, अर्बन सीलिंग के मामले में, इनकम के मामले में एकरूपता बने।

माननीय ओम प्रकाश जी ने बहुत सी बाते कहीं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो जाय कि छोटी चीजों में फंस कर हम बिड़ला टाटा को भूल जायं। जहां नेशनलाइज करना है तो देहात की जमीन और शहर की जमीन, देहात की संपत्ति और शहर की संपत्ति पर भी निगाह रखें। लेकिन मुझे यह कहना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रायरिटी के अनुसार काम करें। उन्होंने चिली का जिक्र किया वहां क्रान्ति हुई तो धीमी गति से चलने के कारण हुई। मेरा कहना है कि चिली में जो प्रतिक्रान्ति हुई वह सी0 आई0 ए0 के कारण हुई, वहां जो प्रतिक्रान्ति हुई वह अमेरिका जैसे साम्राज्यवादियों के कारण हुई और वहां जो प्रतिक्रान्ति हुई वह बाहरी ताकतों के कारण हुई। जब हम सोशल ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में वह वर्ग सतर्क होगा जिसपर हमला होनेवाला है। वह भले ही सामने न आवे लेकिन प्रच्छन्न रूप से उन शक्तियों की मदद करेगा जो समाज को बदलने देना नहीं चाहतीं। तो इस पर हमको बहुत ही स्पष्ट दृष्टि अपनाने का काम करना चाहिये।

[श्री प्रभु नारायण]

माननीय जगन्नाथ चौधरी जी ने बहुत सी बातें कहीं जिनमें मैं जाना नहीं चाहता। कुछ लोगों की राय है कि कम्युनिटी की लीडरशिप होनी चाहिये। कुछ लोगों की राय है कि कम्युनिटी का ओनरशिप होना चाहिये लैंड पर। कुछ लोगों की राय है कि प्रिजेन्ट प्रापराइटरशिप को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कहना कि जो इस राय के हैं वह देश के दुश्मन हैं तो हम यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमें डेमोक्रेसी से मोह है और डेमोक्रेसी के अन्दर हमें ह्यूमन वैलूज का ध्यान रखना है। प्रिजेन्ट प्रापराइटरशिप हो तो एक परिवार के पास कितनी लैंड रहे यह बड़ा भारी प्रश्न है। अभी तक कांग्रेस ने जो नीति निर्धारित की है वह 18 एकड़ की है। हो सकता है कि हम इसके नीचे आवें। इसी तरह से शहरी सम्पत्ति के मामले में निर्णय लेना पड़ेगा। नीति तो साफ है कि शहरी संपत्ति की सीलिंग करनी है। लेकिन इसी के साथ ही शहरी सम्पत्ति की सीलिंग करनी है वह प्रभावकारी हो, और सीलिंग इस दृष्टि से करनी है कि उससे कम से कम उस समाज को कुछ दे सकें जिसे सीलिंग से कुछ देना चाहते हैं।

अग्रवाल साहब ने एक बात कही कि आप दिल्ली पर क्यों छोड़ रहे हैं? हम दिल्ली पर इसलिये छोड़ रहे हैं कि हमें दिल्ली पर विश्वास है, हमें इन्दिरा जी पर विश्वास है और उसके लिये हमारे मन में कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अग्रवाल साहब को केन्द्र पर अविश्वास हो गया कि उन्होंने कहा कि दिल्ली पर क्यों छोड़ना चाहते हो। हम इसलिये भी छोड़ना चाहते हैं कि सारे देश में इस पर जल्दी कदम उठना चाहिये, इसलिये भी छोड़ना चाहते हैं कि एक रूपता हो, इसलिये भी छोड़ना चाहते हैं कि एफेक्टिवनेस के साथ इस पर कार्यवाही हो और जैसा माननीय ऊदल जी ने कहा कि बनारस के लोग, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अपनी सम्पत्ति बना रहे हैं तो अगर कानून केन्द्र द्वारा निर्मित होगा तो सारे देश पर एक साथ लागू होगा और वह लोग कलकत्ता और मद्रास का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

इसी के साथ मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मौके पर आज जो स्थिति है, उस स्थिति में जो कार्यवाहियां और कदम उठाये जा रहे हैं उससे संतोष भी होगा और असन्तोष भी होगा और असन्तोष से हमें जानकार रहने की जरूरत है, हमें प्रतिक्रियाओं से मुकाबला करने के लिये तैयार रहने की जरूरत है। इस सिलसिले में चिली में जो घटना घटी उससे आगाह किया गया। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अलेंडा जैसा बहादुर आदमी ने अपनी जनता के साथ मरना कबूल किया, चिली को छोड़कर नहीं गया। ऐसी स्थिति में आज जो देश में स्थिति है, उस स्थिति में हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से और साफ तरीके से अपनी राय को कायम करके उस पर चलने की जरूरत होगी क्योंकि इस देश में अब वह लड़ाइयां शुरू हो गई हैं जिनके लिये कांग्रेस खड़ी है आज उसको चुनौती मिल रही है। देश में वह शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं जो सारी नीतियों से हराना चाहती हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ा और उन नीतियों के साथ अपने को जोड़ा जिनके लिये कांग्रेस खड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारी दल करीब-करीब उन रायों से एक मत है जहां तक आर्थिक नीतियों और दूसरे मामलों से हमारा सम्बन्ध है। मैं माननीय ऊदल जी से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा शंका करने की जरूरत नहीं है। हम समाज में विषमताओं को मिटाना चाहते हैं, हम वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते हैं, हम इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और इस लड़ाई में जो कुछ करना सम्भव होगा और जो जरूरी करना होगा उस ओर हम कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, इन चन्द शब्दों के साथ, जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि "चूंकि यह विधान सभा समझती है कि नागर अचल सम्पत्ति की एक सीमा होनी चाहिये।

और, चूंकि ऐसी सीमा का आरोपण तथा उस सीमा से अधिक नागर अचल सम्पत्ति का अर्जन ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में संसद को संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में दी गई व्यवस्था को छोड़कर राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है ।

और, चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश, में उपरोक्त विषय संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित होना चाहिये ;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा आरोपण तथा सीमा से अधिक ऐसी सम्पत्ति का अर्जन एवम् उससे सम्बन्धित समस्त विषय अथवा तत्सम्बन्धी समस्त गौण और प्रासंगिक विषय उत्तर प्रदेश राज्य में संसद द्वारा निर्मित विधि से विनियमित हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ऊदल—

यह संकल्प हम सर्वसम्मति से पारित करते हैं. . . . .

(सभी सदस्यों ने एक स्वर से सर्वसम्मति से पारित करने का अध्यक्ष से अनुरोध किया ।)

श्री अध्यक्ष—

अतएव यह संकल्प निर्विरोध पारित हुआ ।

उत्तर प्रदेश भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 757-766 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975†

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय ।

इस विधेयक के द्वारा हम प्रदेश के गन्ना किसानों को एक विशेष राहत पहुंचाने की परिकल्पना कर रहे हैं। आज 22 लाख परिवार प्रदेश में गन्ना पैदा करते हैं। लगातार यह सवाल उठता रहता है कि गन्ना किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान समय से नहीं होता है और वे इससे चिन्तित रहते हैं जो कि स्वाभाविक है। कई फैक्टरीज सरकार ने ले भी लीं। हाई कोर्ट से स्टे आर्डर भी हुए और रिसीवर बिठाये गये, लेकिन भुगतान की समस्या मूलत: बनी रही और विश्लेषण करने पर इसका मुख्य कारण यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश चीनी मिलें बैंकों के कर्ज पर निर्भर करती हैं। बैंकों को मिलें चीनी प्लेज करके ऋण लेती हैं और उस ऋण के मिलने पर ही वे समय से भुगतान कर देती हैं। अब अगर बैंक से कर्ज नहीं मिला तो चीनी बिकती

---

†6 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रहती है और साल दो साल में गन्ने के दाम का भुगतान हो पाता है। इसका कुछ हल निकालना आवश्यक था। आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि इधर चीनी के दाम में काफी गिरावट आई और कंज्यूमर को सस्ती चीनी मिल रही है लेकिन हमने जो साढ़े 14 तथा 14 रुपये गन्ने की कीमत रखी थी वह वही रही क्योंकि उस समय चीनी के दामों में इतनी कमी होने का अन्देशा नहीं था। अब चीनी मिलों के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि उनको बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है। इस वर्ष 200 करोड़ रुपये कुल गन्ने का बकाया था। इसमें से 176 करोड़ 22 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और पिछले साल का जो बकाया था यह उससे ज्यादा ही है। पिछले साल गन्ने की कीमत भी इस साल से 1 रुपया, सवा रुपया कम रही थी लेकिन उसके मुकाबले इस साल जो पेमेंट हुआ है वह ज्यादा हुआ है फिर भी 24 करोड़ 56 लाख का बकाया है, जिसमें से आशा है कि अक्तूबर तक 10 करोड़ का भुगतान और हो जायगा और फिर जैसे-जैसे चीनी बिकती रहेगी उसका भुगतान होता रहेगा। लेकिन हमारा प्रयास यह है चूंकि यह परेशानी का विषय रहता है लिहाजा एक गन्ना किसान भुगतान फंड कायम किया जाय जो कि प्रदेश के बजट का सीधा हिस्सा न हो कर पब्लिक एकाउंट फंड के रूप में हो और इस निधि में यह रुपया जमा होगा परचेंज टैक्स के जरिये। सारे संसार मेंचीनी का एक्सपोर्ट होता है। चीनी पर चार आने परचेज टैक्स बढ़ा कर इस रुपये को विशेष फंड में डाल दिया जायगा और इस तरह से ढाई तीन साल में 15 करोड़ रुपये का फंड बन जायगा। केन कमिश्नर तथा जिला मैजिस्ट्रेट के हाथ में यह फंड होगा। चाहे कोआपरेटिव चीनी मिल हो अथवा सरकारी मिल हो उसके पास जो चीनी होगी वह इस फंड को प्लेज कर देगी और उस चीनी पर फंड का ताला पड़ जायगा और किसान का बकाया गन्ने का भुगतान हो जायगा। 15 करोड़ रुपये का एवरेज आयेगा। जितनी चीनी बिक जायेगी, मय व्याज के इस फंड में वह वापस हो जायेगी। यदि चीनी मिल मालिक 15 दिन के अन्दर गन्ना किसान का पैसा नहीं देता है तो वह चीनी को प्लेज कर देगा और इस फंड से रुपया निकाल कर रुपया दे देगा। यह फंड 3 साल के अन्दर बन जायेगा। तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को सहायता पहुंचेगी और ठीक से उनके पैसे का भुगतान करने में सहूलियत रहेगी। इस फंड से वे कर्जा भी ले सकते हैं। मुझे आशा है कि सदन इससे सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री रामचन्द्र बक्स सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है वह बहुत सुन्दर है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं लेकिन मान्यवर, इस सम्बन्ध में जहां इसके उद्देश्य दिये गये हैं कि गन्ना किसानों को उनके बकाये रुपये का भुगतान हो जाय उसके लिये एक निधि की व्यवस्था की जाय उसमें एक शंका है और वह इसलिये है कि यह कोई पहली बार निधि कायम नहीं हो रही है बल्कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एक विकास निधि तथा उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनःस्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के खाते बनाये गये थे। इनको आप देखें कि पहले वाले में गन्ना किसानों को आपने कितना हित पहुंचाया, यह विचारणीय है। मार्डनाइजेशन के नाम पर जो ऋण दिया गया, उसका कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या पाबन्दी लगायी गयी ? आप उनको ऋण के ऊपर ऋण दिये जा रहे हैं लेकिन देखने की चीज यह है कि उनको कितनी राहत आप पहुंचा रहे हैं। अभी कल के अखबार में आपने देखा होगा कि रजा शुगर फैक्टरी रामपुर का सामान निकाल कर बाहर ले जाते हुये लोग पकड़े गये। मार्डनाइजेशन के नाम पर जिन फैक्टरियों को आप पैसा देते हैं वे बजाय इसमें इस्तेमाल करने के दूसरे बिजनेस में उस पैसा को लगा देते हैं। गन्ना, किसानों की आज सबसे बड़ी कैश फैक्टरी है उसकी हालत आज जरजर हो गयी है। यहां पर आये दिन इस सम्बन्ध में सवाल आते हैं जो कि गन्ना भुगतान कोष कायम करने से हल नहीं हो सकते बल्कि उसके लिये राष्ट्रीय-करण की नीति जिसको कि आप अब तक टालते रहे हैं, उसको लागू करना पड़ेगा क्योंकि

बकाये की समस्या इतनी भयंकर रूप धारण कर चुकी है और वर्षों से किसानों का रुपया बाकी पड़ा है। हर साल यह सवाल असेम्बलीज में प्रश्नों के रूप में या दूसरे तरीकों से आता है आप उसे तसलीम भी करते हैं कि इतना बांकी है। जितना किसानों का बाकी था वह सब शुगर कारपोरेशन में ले लिया गया और रिसीवर बिठाये गये लेकिन उसके बारे में कोई विधि आप नहीं बनाने जा रहे हैं कि वह कैसे डिस्ट्रिब्यूट होगा, कितना मुआवजा दिया जायेगा, किस प्रायोरिटी से दिया जायेगा। जहांतक मेरी जानकारी है गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान सबसे लास्ट में रखा गया है। इस निधि के जरिये कितना दुरुपयोग होगा उसकी भी व्यवस्था आप करें। खाली एक ऋण फन्ड बना देने से कोई बनने वाली बात नहीं है। इसे आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि सही तरीके से गन्ना किसानों को भुगतान हो। इस संकट कालीन स्थिति में ये गन्ना किसान जो कि कन्धे से कन्धा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं, जो पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे जो आपके साथ रहे वह आज परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप जो यह बोल रहे हैं वह इस बिल से सम्बद्ध नहीं है। इस बिल में है कि एक रुपये के स्थान पर 1.25 पैसा रख दिया जाय। इस पर आप बोले।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि किसानों का जो भुगतान अभी होना है उसकी निश्चित व्यवस्था आप करें ताकि गन्ने का पैसा उनको मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

इस पर आप (हाफिज मोहम्मद असलम से) क्या बोलना चाहते हैं? संक्षेप में बोल लें।

हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अभी कहा कि हम दो तीन साल के अन्दर एक फंड बनाने वाले हैं करीब 15 करोड़ का जो डी0 एम0 के डिसपोजल में रहेगा उससे जो बकाया किसान का रहता है उसमें से मिल सकेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आज जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 25 करोड़ करीब बकाया है जो तीन साल बाद किसानों को मिलेगा। हमारे यहां सहारनपुर में एक शुगर मिल है उसमें 1972 में 40 लाख रुपया बकाया है। उसके लिये मालूम नहीं है कि वह कब मिलेगा। उसके लिये वहां के किसानों ने परेशान होकर सरकार से निवेदन किया कि इस मिल के जो मालिकान हैं उनसे इसको छुड़ाया जाय और सरकार अपने कंट्रोल में ले ले और सरकार ने उसे ले लिया। 1973-74 में जब कंट्रोल में लिया गया तो उस समय गन्ना अच्छा नही था वह बीमार था और सरकारी कर्मचारियों ने उसे अच्छी तरह से चला कर उससे लाभ हुआ ओर सारा पेमेंट पूरा हो गया लेकिन पिछले सीजन में 1974-75 में वहां पर जो मिल मालिकान के जमाने के दो चार कर्मचारी हैं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के उपर भी एक चक्कर चलाया और अच्छा गन्ना होने पर भी कोई बीमार गन्ना न होने पर भी गन्ने की रिकवरी कम हुई। इस तरह से 60 लाख रुपये का नुकसान दिखा दिया यह साबित करने के लिये कि मिल मालिकान के जमाने में 40 लाख का नुकसान था लेकिन अब 60 लाख का हो गया है और सरकार मजबूर होकर मालिकों को वापस कर दे इसलिये यह जानबूझ कर नुकसान दिखाया गया। वहां पर रस जो है उसे बेकार बहाया गया और पता नहीं किस-किस तरह से काम किये गये जब कि इस साल गन्ना तंदुरस्त था। मान्यवर जब सहारनपुर शुगर मिल बंद हो गया और शेष गन्ना खहाना गया तो वहां रिकवरी 10 प्रतिशत कुछ हुई और उसी गन्ने की सहारनपुर से रिकवरी 1 पाइन्ट कुछ दिखायी गयी है। तो यह बराबर बेइमानी हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी इनक्वायरी की जाय, उसमें सरकारी नुमाइन्दे और किसानों के नुमाइन्दे और मजदूरों के

[हाफिज मोहम्मद असलम]

नुमाइन्दे होने चाहिये। जो यह देखे कि यह 60 लाख का नुकसान दिखाया है यह किस कारण हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वह अलग चीज है, इससे संबंधित नहीं है।

हाफिज मोहम्मद असलम—

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री जी इस बात को देखें कि किसानों को परेशान न किया जाय और यह जो 60 लाख का बकाया है इसको 1975-76 से पहले पेमेन्ट करायेंगे या नहीं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य बाराबंकी ने इस प्रसंग में भावना व्यक्त की उसके लिये मैं उनका आदर करता हूं। उनका यह विचार कि इसका हल तो चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण है। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारी जो सामान्य नीति है वह यही है। लक्ष्य हमारा यह है लेकिन जैसा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है अभी फिलहाल केन्द्र ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्लियामेंट में भी हाल में इस सम्बन्ध में वादविवाद हुआ था। इस वक्त केन्द्र की नीति है कि चीनी के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाय। इस संदर्भ में जिन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हो उनका राष्ट्रीकरण किया जाय। और अगर बिना राष्ट्रीयकरण के भी मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेन्ट करके उत्पादन बढ़ सकता है तो राष्ट्रीयकरण कुछ दिन स्थगित रखा जाए। तो उसके तहत काम चल रहा है। यों जब इसका पूर्ण विचार केन्द्र में हो जाएगा तो इसमें आवश्यक निर्णय लिया जायगा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह इस लिए नहीं है कि इसमें जो किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, वह 3 साल तक रोका जाए। यह तो केवल भविष्य के लिये एक इंश्योरेंश है। सन् 1952 से मैं इस सदन में बकाया की समस्या को देख रहा हूं। समय से बकाया नहीं मिल रहा है, यह बहुत दिनों से चल रहा है। इसका हल निकालने के लिये सोचा गया। पूरा हल तो मार्केटिंग स्थिति ठीक होने पर ही होगा, लेकिन बैंक से रुपया न मिलने आदि की जो रुकावटें थी, वे इससे दूर हो जाएंगी। इस समय जो करीब 25 करोड़ का बकाया है, उसके लिये फंड के सम्बन्ध में एक साल में लगभग 5 करोड़ रुपया इस फण्ड में आ जाएगा चार आने प्रति क्वींटल के हिसाब से। अगले साल से इस फंड का प्रयोग होने लगेगा, ऐसा मेरा विचार है। जो बकाया है, इस समय, उसमें 10 करोड़ रुपया अक्टूबर तक और अदा हो जाएगा और बाद में जैसे चीनी बिकती जाएगी, वैसे रुपया दिया जाएगा।

सहारनपुर की चीनी मिल के सम्बन्ध में एक डेपूटेशन कल ही मुझसे मिला था, उसके संबंध में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच हो रही है, चेयरमैन, शुगर कारपोरेशन को वहां भेजा जा रहा है, वह तीन दिन में वहां पहुंचेंगे और वह सारी चीज देखेंगे कि नुकसान का कारण यह है जो अधिकारियों ने बताया है या वह है जो लोगों में चर्चा है। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से आशा करता हूं कि वह इस विधेयक पर अवश्य विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975

अभावग्रस्त शक्कर फैक्टरियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिये ऋण सहायता देने के लिये एक विशेष निधि के सृजन का उपबन्ध करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में—

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पच्चीस पैसे" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(10) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधि द्वारा यथा-विधि विनियोग करने के पश्चात् राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उद्गृहीत कर के आगम के बराबर धनराशि राज्य की संचित निधि से और के बाहर इस सीमा तक निकालेगी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वसूल की गई कर की दर साठ पैसे प्रति एक क्विंटल गन्ना से अधिक हो और उसको निम्नांकित नाम की तीन पृथक निधियों में निम्नलिखित अनुपात में जमा करेगी, अर्थात्—

(क) निकाली गई धनराशि का एक-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विन्टल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि के खाते में ;

(ख) निकाली गई धनराशि का दो-तिहाई भाग, उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विन्टल गन्ने पर एक रुपये से अधिक न हो, उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनःस्थापन आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के खाते में ;

(ग) शेष धनराशि, अर्थात् उस सीमा तक सम्पूर्ण धनराशि जहां तक कर की दर प्रति क्विन्टल गन्ने पर एक रुपये से अधिक हो, उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि के खाते में :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये ऋण सहायता निधि में अन्तरित की जाने वाली कुल धनराशि पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक न होगी और इसके बजाय उससे अधिक कर से उपलब्ध कोई धनराशि, इस सीमा तक कि वह एक रुपया प्रति क्विन्टल की उक्त दर से अधिक हो, खंड (क) और (ख) में उल्लिखित निधियों में इन खंडों में उल्लिखित अनुपात में क्रमशः अन्तरित कर दी जायगी।

(ग) उपधारा (11) में, शब्द "दोनों पृथक निधियों" के स्थान पर शब्द "तीनों निधियों" रख दिये जायं।

(घ) उपधारा (12) में शब्द "उक्त दोनों निधियों" के स्थान पर शब्द "उक्त तीनों निधियों" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण, विधेयक, 1975†

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि हमारे प्रदेश में जो बहुत से कारपोरेशंस और बोर्ड्स आदि गठित हुए हैं, वे बहुत से भिन्न-भिन्न ऐक्टों के अधीन काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारी नीति में 21 सूत्री कार्य क्रम है तो इन वित्तीय नीतियों को इन कारपोरेशनों आदि में कार्यान्वित कराने के मार्ग में हमारे सामने बाधाएं थीं, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए इस विधेयक के जरिए व्यवस्था की गई है। इस विधेयक की पृष्ठभूमि से उनके आटोनामस बाडी होते हुए भी सत्ता की नीतियों के अनुसार उनको डाइरेक्शन दे सकते हैं, इस बात की व्यवस्था इसमें की गई है, ताकि नीतियों का इनमें समन्वय रहे और आर्थिक लक्ष्य पूर्ति की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष—

वही है, जो बार-बार मेम्बर लोग चाहते भी थे।

---

†6 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975

किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित परिनियत निकायों पर (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़ कर) राज्य सरकार के नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

बिधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिनियत निकायों को निदेश देने की शक्ति

2—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों को छोड़कर किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित प्रत्येक परिनियत निकाय (चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो), अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, नीति के प्रश्नों पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे परिनियत निकाय को स्थापित या गठित करने वाली विधि के अधीन राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे निदेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसके संबंध में राज्य सरकार धारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975†

*कारागार मंत्री (श्री लोकपति)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

पिछले कुछ वर्षों में श्रीमन्, शहरों में जो खुली जगहें रही हैं या सार्वजनिक पार्क या खेल के मैदान रहे हैं उन पर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। आज स्थिति यह है कि बड़े-बड़े शहरों में कोई ऐसा स्थान नहीं रह जायगा जो पार्क हो या खेल के मैदान के लिये दे सकें या ऐसी जगह रखें जो खुली हो। इसलिये यह विधेयक आपके माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। अगर आप आज्ञा दें....

श्री अध्यक्ष—

शुद्धि-पत्र लगा हुआ है।

श्री लोकपति—

तो इसको सुधार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड, 2 से 14, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975

उत्तर प्रदेश में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के संरक्षण और विनियमन का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 कहा जायेगा।

(2) यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन प्रत्येक नगर महापालिका में और यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया में और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन प्रत्येक टाउन एरिया में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्रों में और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनको राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

---

†6 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "खुली जगह" का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी भूमि से (चाहे घिरी हुई हो या न हो) है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई भवन नहीं है और जिसका सम्पूर्ण या शेष भाग मनोरंजन, वायु या प्रकाश के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है ;

(ख) "पार्क" का तात्पर्य उस भू–खंड से है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई इमारत न हो और जिसके सम्पूर्ण या शेष भाग का विन्यास वृक्ष, पौधे, फूलों की क्यारी सहित उद्यान के रूप में या लान के रूप में या घास के मैदान के रूप में किया गया हो और जिसका अनुरक्षण मनोरंजन, वायु या प्रकाश के लिये सार्वजनिक समागम–स्थान के रूप मे किया जाता हो ;

(ग) "खेल का मैदान' का तात्पर्य उस भू-खंड से है जिसका अनुकूलन खेल, खेल–कूद या क्रीड़ा के प्रयोजनार्थ और उपयोग किसी शिक्षण संस्था या क्लब या अन्य समुदाय द्वारा किया जाता है ;

(घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूचियों को तैयार और प्रस्तुत करना

3—(1) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के सभी पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची, रेखाचित्र और मानचित्र सहित, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, तैयार तथा प्रकाशित की जायगी।

(2) कोई हितबद्ध व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसी सूची से सम्बद्ध या उसमें अंकित किसी बात के बारे में अपनी आपत्तियों और सुझावों को विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(3) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् सूची का अनुमोदन परिष्कार सहित या रहित कर सकता है ।

(3) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित होगी और ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(5) यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित किसी सूची में निर्दिष्ट या उसका अंगीभूत कोई रेखा चित्र, मानचित्र या दस्तावेज जनता के निरीक्षण के लिये ऐसे स्थान और समय पर जो विहित किया जाय, उपलब्ध होगा।

सरकार द्वारा सूची का पुनरीक्षण

4—(1) कोई व्यक्ति जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हों, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकता है ।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा और सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथा पुनरीक्षित सूची को गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय, प्रकाशित किया जायगा।

सूची का परिवर्तन या विखंडन

5—(1) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वतः या स्थानीय प्राधिकारी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के अनरोध पर धारा 3 के अधीन अनुमोदित या धारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सूची को परिवर्द्धित, परिवर्तित या बिखंडित कर सकता है।

(2) ऐसा कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन करने के पहले राज्य सरकार विहित रीति से ऐसे परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन के प्रारूप को एक नोटिस के साथ, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करेगी और ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उस प्रारूप के संबंध में प्राप्त हो जायें, विचार करेगी।

कुछ मामलों में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगहों के उपयोग का प्रतिषेध

6—कोई पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह जो, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट हो विहित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना, जिस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पहले किया जा रहा था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाई जायगी।

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का अनुरक्षण

7—स्थानीय प्राधिकारी उन पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का जो उसकी हों या उसमें निहित हों और धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करेगा।

इमारतों आदि के निर्माण का प्रतिषेध

8—कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई इमारत नहीं बनायेगा या कोई संरचना नहीं करेगा जिससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह की उपयोगिता के प्रभावित होनेकी संभावना हो।

पार्क, खेल के मैदान आदि के स्वामी का आभार

9—(1) किसी पार्क या खेल के मैदान की स्थिति में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो किन्तु धारा 3 या धारा–4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, विहित प्राधिकारी नोटिस द्वारा ऐसे पार्क या खेल के मैदान के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह—

(i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण; करें, या

(ii) किसी ऐसे पार्क या खेल के मैदान में या पर प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध को निराकृत या परिवर्तित करें या नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के भीतर ऐसे पार्क या खेल के मैदान में किसी इमारत में ऐसी मरम्मत करें जो विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(2) यदि स्वामी या अध्यासी उपधारा (1) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे तो विहित, प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण द्वारा जो वह उचित समझे, इस बात की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात्--

(i) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण;

(ii) प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध का निराकरण या परिवर्तन;

(iii) ऐसी मरम्मत करना जो वह आवश्यक समझे, और ऐसे अनुरक्षण, निराकरण, परिवर्तन या मरम्मत का व्यय ऐसे स्वामी या अध्यासी से ऐसी रीति में जो विहित की जाय, वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली योग्य व्यय की धनराशि के बारे में किसी विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) में जैसा इंगित है, वैसी कार्यवाही करने के बजाय या अलावा भूमि का अर्जन पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावकारी प्रबन्ध के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन करा सकता है।

(5) किसी खेल के मैदान का स्वामी या अध्यासी जो, खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से भिन्न किसी रूप में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, राज्य सरकार को खेल के मैदान में अपने अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये नोटिस दे सकता है और यदि राज्य सरकार ऐसे नोटिस पाने के दिनांक से छ : मास के भीतर ऐसे अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये अपनी तैयारी और रजामन्दी को संज्ञापित नहीं करता है, तो वह ऐसे खेल के मैदान को ऐसे उपयोग में ला सकता है जैसा वह चाहे।

वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

10--(1) विहित प्राधिकारी धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के सम्बन्ध में एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों सहित, जो विहित किये जायं, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी के साथ उन पार्कों और खेल के मैदानों की जिनके सम्बन्ध में धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई थी एक सूची भी होगी और उसके साथ-साथ उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के प्रकार और उनके उचित अनुरक्षण के बारे में उठाये गये कदम के सम्बन्ध में ब्योरे होंगे।

अप्राधिकृत व्यक्तियों को हटाना

11--यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के या उसमें निहित किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में, राज्य सरकार द्वारा या यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करके प्रवेश करता है या रहता है तो उसे, किसी अन्य कार्यवाही पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, यथास्थिति राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हों, ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से हटा सकता है।

शास्ति

12—जो कोई धारा 4 या धारा 5 के अधोन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में कोई कूड़ा फेंकता है या जंगला या बाड़ का अतिक्रमण करता है या उसमें फूल, फूल, पौधे, घास या किसी भीअन्य बस्तु को चुराता है या क्षति पहूंचाता है या उसमें कोई अपदूषण करता है, उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा ।

पार्क आदि का अन्तरिम संरक्षण

13—इस अधिनियम के अधीन पार्कों, खेल के मैदान और खुली जगहों की सूची तैयार और प्रकाशित होने तक (जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर दी जायगी) । किसी भूमि का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व खुली जगह हो या जिसका उपयोग पार्क या खेल के मैदान के रूप मे किया जाता हो, ऐसे पार्क या खेल के मैदान के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो उपयोग किया जायगा और न बरता जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

14—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषत : और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकता है —

(क) पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों में व्यक्तियों के प्रवेश, और उनमें और उनके आस-पास व्यक्तियों के आचरण का नियन्त्रण या विनियमन ;

(ख) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में पशुओं या किसी वर्ग के पशुओं के प्रवेश का निर्बन्धन या प्रतिषेध ;

(ग) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जो उसमें इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकारी के किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करके हो ।

(घ) समय जिसके भीतर धारा 10 के अधीन वार्षिक विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(च) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टत : अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जिन्हें विहित किया जाना हो ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 14, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब, माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक को कल लेंगे जैसा तय भी हुआ है । अत: अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
7 अगस्त, 1975 ।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ 707 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विध (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलाएगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921 की धारा 2 का संशोधन

2—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में —

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) 'संस्था' का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है, और जहां सन्दर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है ;"

(ii) खण्ड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :

"(खख) 'निरीक्षक' का तात्पर्य यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक से, और बालिकाओं के लिये संस्था की स्थिति में, सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;"

(iii) खण्ड (खखख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) 'विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है।"

धारा 3 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात् : ––

"3––(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् : ––

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो प्रधान ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो अध्यापक ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के, ऐसे क्षेत्रों से और ऐसी रीति में जो विहित की जायं, निर्वाचित ग्यारह प्रधान :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह संस्था का स्थायी प्रधान न हो और उसका अनुभव संस्था के प्रधान के रूप में (अस्थायी रूप से धारण किये गए पद की अवधि को भी सम्मिलित करते हुए) कम से कम (कुल मिलाकर) पांच वर्ष का निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को न हो ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के, ऐसे क्षेत्रों से और ऐसी रीति में, जो विहित की जायं, निर्वाचित ग्यारह अध्यापक :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह स्थायी अध्यापक न हो और उसका अध्यापन का अनुभव (अस्थाई रूप में सेवा की अवधि को भी सम्मिलित करते हुए) किसी संस्था में कम से कम (कुल मिलाकर) 10 वर्ष का निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून, को न हो ;

(ङ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, पांच अध्यापक ;

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यापक ;

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक ;

(ज) मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक आचार्य (प्रोफेसर) ;

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य ;

(ञ) राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन सदस्य;

(ट) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच व्यक्ति ;

(ठ) महिला शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन महिला ;

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(ढ) उद्योग के राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, तीन प्रतिनिधि ;

(ण) प्राचार्य (प्रिंसिपल) महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, पदेन ;

(त) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;

(थ) प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद, पदेन ;

(द) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्था, इलाहाबाद, पदेन;

(ध) प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ पदेन ;

(न) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पदेन;

(प) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय-संगठन, नई दिल्ली, पदेन ;

(फ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक ;

(ब) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षका ;

(भ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(म) बोर्ड का सचिव, पदेन, जो बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्प संख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये पांच व्यक्तियों से अनधिक को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में —

(क) उपधार (1) में शब्द "पदेन तथा आमेलित सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पदेन सदस्यों" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् : —

"(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से सह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में —

(i) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् : —

"(1) हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्य-क्रम, पाठ्य-

पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;

(1–क) ऐसे पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णत : या अंशत : अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण" ;

(ii) खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णत : या अंशत : प्रकाशन करना या रोकना"।

नई धारा 7-क, 7-ख, 7-ग और 7-घ का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् : —

मान्यता के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

"7-क—धारा 7 के खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का कोई आदेश किसी संस्था को पहली बार या किसी नए विषय या वर्ग में या उच्च कक्षा के लिये मान्यता देने के बारे में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन न कर दिया हो।

डिप्लोमा और प्रमाण पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

7-ख—कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, ग्रहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा जिसके वर्णन में उसके हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्तियुक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

7-ग—किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसी संस्था में प्रवेश देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 7-ख अथवा 7 ग-का उल्लंघन करने के लिये शास्ति

7-घ—धारा 7-ख अथवा 7-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये से कम न होगा दण्डित किया जा सकेगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जान बूझकर और

स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।"

धारा 9 का संशोधन।

7—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायं, अर्थात् :—

"(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टित : ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखंडन या रचना कर सकती है और तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा 11 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में, शब्द "बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों" के स्थान पर शब्द "बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों" रख दिये जायं।

धारा 12 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में, द्वितीय वाक्य निकाल दिया जाय ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात् :—

"(4-क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।" ;

(iii) उपधारा (6) निकाल दी जाय।

धारा 13 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"13—(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात् :—

(क) पाठ्यक्रम समिति,
(ख) परीक्षा समिति,
(ग) परीक्षाफल समिति,
(घ) मान्यता समिति, और
(ङ) वित्त समिति।

(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खन्ड (क) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) तथा (घ) में उल्लिखित अध्यापक ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ), (च), (छ), तथा (ज) में उल्लिखित अध्यापक तथा आचार्य ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) में खंड (झ) तथा (ञ) में उल्लिखित विधायक ;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ट), (ठ) तथा (ढ) और धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति ;

(च) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब) तथा (भ) में उल्लिखित व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी बोर्ड की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त बोर्ड अन्य समितियां, यदि कोई हों, जो विहित की जायं, नियुक्त करेगा, और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं।

(4) इस अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिये होगा जो विहित किया जाय।"

धारा 15 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) में, शब्द, अक्षर और कोष्ठक "खण्ड (ग) और (ङ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर और कोष्ठक "खण्ड (ग) और (घ)" रख दिए जायं।

धारा 16 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

12--मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"16--(1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।"

धारा 16-क का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 16-क में,--

(क) उपधारा (1) में शब्द "यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या प्रिन्सिपल" के स्थान पर शब्द "प्रधान" रख दिया जाय ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या प्रिन्सिपल" के स्थान पर शब्द "प्रधान" रख दिया जाय ;

(ग) उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना

में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।"

धारा 16-ङ और 16-च का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 16-ङ और 16-च के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात् :—

"16-ङ (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यापकों और संस्था के प्रधानों के चयन की प्रक्रिया संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरी जाने के लिए विहित सीमा तक के, निरीक्षक को रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम से-कम दो समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो, नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसे अर्हता से मुक्त कर दिया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा और वह उसे प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(5) विनियमों के अनुसार आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और साक्षात्कार पत्र जारी किये जायेंगे तथा चयन समिति की बैठक बुलायी जायगी।

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के लिये नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाये गये यथासाक्ष्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश प्रबन्ध समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सर्वप्रथम चयन समिति से प्रथम अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में संभागीय शिक्षा उप निदेशक को और

संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा, अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है जो आवश्यक हो।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिये अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति की मृत्यु या सेवा निवृत्ति से उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किये बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाय।

चयन समिति

16-च (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट करें—जो सभापति होगा ;

(ii) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यार्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम-निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा ;

(ii) ऐसी संस्था का प्रधान ;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) या उपधारा (2) के खन्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियन्त्रक रखा गया समझा जायगा।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिये विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायगी।

(5) चयन समिति का कार्य-संचालन विहित रीति से किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (iii) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

16-चच (1) धारा 16-ङ की उपधारा (4) में और धारा 16-च में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पांच सदस्य होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक —

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा ;

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक —

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो ; और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो।

(5) जहां सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

16—चचच परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपवन्ध

(1) बोर्ड की परीक्षाओं के सचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा फल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्त्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक को यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी समिति संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उसका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।"

धारा 16—छ का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 16-छ में —

(i) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अध्यापकों की सेवा की शर्तें" के स्थान पर शब्द "संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें" रख दिए जाएं।;

(ii) उपधारा (2) के खण्ड (क) में शब्द "जिसमें जांच होने तक निलम्बन" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दान्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचार किये जाने तक निलम्बन भी है)" रख दिये जायं;

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा में और स्पष्टीकरण रख दिए जाएं, अर्थात् :

"(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में —

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये दन्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित हो।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से या यथास्थिति, उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना निलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिये गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप-शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिये अन्तरिम हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप-शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जायगा।

स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में, पद "संभागीय शिक्षा उप निदेशक" का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा।"

धारा 18 का संशोधन

16——मूल अधिनियम की धारा 18 में, जहां कहीं भी शब्द "नियुक्त, निर्वाचित या आमेलित" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट" रख दिये जायं।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971 की धारा 3 का संशोधन

17——उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में ——

(क) उपधारा (2) में शब्द "वेतन का भुगतान" के पूर्व शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए," रख दिए जाएं ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् : ——

"(3) यदि किसी संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाय तो निरीक्षक उसका भुगतान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के

भीतर यथास्थिति ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर, और नयी नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जायगा।"

धारा 5 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "किसी अनुसूचित बैंक" के स्थान पर शब्द "किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार" के पश्चात् शब्द "और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायं निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार" रख दिये जायं और सदैव से रखे गए समझे जायं ;

(ग) उपधारा (4) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिये राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय ;" ;

(घ) उपधारा (6) में शब्द "अनुसूचित बैंक" के स्थान पर शब्द —

"अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक" रख दिये जायं।

धारा 9 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् : —

पदों के लिये अनुमोदन

"9—कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।"

धारा 13 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या" निकाल दिये जायं।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

21—(1) अध्याय 2 और 3 में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष के भीतर, राज्य सरकार के लिये अध्याय 2 में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में विनियम या, यथास्थिति, अध्याय 3 में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाना विधि पूर्ण होगा, और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बढ़ाया गया प्रत्येक विनियम या नियम तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में संशोधित या विखण्डित न कर दिया जाय।

(2) इस बात के होते हुए भी कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 के स्थान पर इस अधिनियम द्वारा एक नई धारा रख दी गई है, किन्तु इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक

पहले यथा विद्यमान उक्त अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड के सदस्य तब तक पदारूढ़ रहेंगे जब तक की उक्त नयी धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन न कर दिया जाय।

कठिनाइयों को दूर करना

22—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायगा।

निरसन तथा अपवाद।

23—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या 18, 1975

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

उद्देश्य और कारण

माध्यमिक शिक्षा में बहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि वर्तमान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में अध्यापकों का और विभिन्न शैक्षिक, तकनीकी और अन्य विशेषित संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करके उसे और अधिक गतिशील बनाया जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि परिषद् को पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करने और शिक्षा-सामग्री का निर्माण करने की भी शक्ति प्रदान की जाय। शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने पर और अधिक नियन्त्रण रखने तथा अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा झूठे प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा देने को प्रतिषिद्ध करना ऐसे अन्य उपाय थे जिनके कारण तत्काल विधायन बनाना आवश्यक समझा गया।

शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए यह वांछनीय था कि अध्यापकों का चुनाव चयन समितियों के माध्यम से किया जाय और उनकी सेवा-शर्तों में सुधार किया जाय। इन्हीं सब कारणों से इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 को संशोधित करना आवश्यक था।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किये जाने को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि इन संस्थाओं को भी उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 की परिधि में लाया जाय और गत वर्षों में हुए अनुभव के आधार पर कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भी उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि विधान मन्डल सत्र में नहीं था इसलिये 7 जुलाई, 1975 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

अम्मार रिजवी,
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री,

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ 731 पर)

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

भिक्षावृत्ति रोकने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना, प्रारम्भ और प्रभाव।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया या उसके भाग या ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्र में ऐसे दिनांक से लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध प्रथमत: केवल बालकों पर लागू होंगे, और समय-समय पर, पश्चात्वर्ती अधिसूचनाओं द्वारा इस अधिनियम को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होने का निदेश दे सकती है।

(5) राज्य के किसी क्षेत्र में और किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपधारा (3) के और उपधारा (4) में उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उस क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त तदनुरूप विधियां, उस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेंगे और ऐसी प्रभावहीनता पर संयुक्त प्रान्त साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अधिनियमिति के निरसन पर लागू होते हैं।

परिभाषायें

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

(क) सजातीय पद तथा व्याकरण के रूप में भेद सहित "भिक्षा मांगने" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बहाने से जैसे गा कर, नाच कर, भाग्य बता कर, करतब दिखा कर या किसी वस्तु को विक्रयार्थ प्रस्तुत करके, भिक्षा मांगने या लेने से है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना ;

(ii) भिक्षा प्राप्त करने या उसे बलात लेने के उद्देश्य से किसी जख्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ;

(iii) जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होना, और किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी स्थिति में या ऐसी रीति से घूमना या वहां बने रहना जिससे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांगकर या लेकर के अपनी गुजर करता है ;

(iv) भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ अपने को प्रदर्शनार्थ प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देना, किन्तु इसके अतर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित रीति से प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए धन या खाद्य या उपहार मांगना या लेना नहीं है ;

(ख) "प्रमाणित संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जिसकी व्यवस्था तथा अनुरक्षण राज्य सरकार भिक्षुओं तथा उनके आश्रितों को निरुद्ध करने, प्रशिक्षण देने और सेवायोजन के लिये करे और इसके अन्तर्गत धारा 16 के अधीन इस रूप में प्रमाणित कोई संस्था भी है ;

(ग) "बालक" का तापर्य सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है ;

(घ) "न्यायालय" का तात्पर्य प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से है या जिस क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, उसमें दान्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायालय से है ;

(ङ) "अवयस्क न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 में दिया गया है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है,

(छ) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां भुगतान करने पर या अन्यथा जनता की तत्समय पहुंच हो या उसे पहुंचने की अनुज्ञा हो, और इसके अन्तर्गत कोई रेल गाड़ी, गाड़ी या जलयान या रेलवे या बस स्टेशन भी है।

(ज) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति से है।

अध्याय 2

प्रशासन-तन्त्र

राज्य निराश्रित सहायता समिति

3.—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य निराश्रित सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) समिति में एक अध्यक्ष तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जितनी विहित की जाय।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जब तक कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4) समिति से त्याग-पत्र से या अन्यथा हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायगी।

(5) इस धारा में किए गए उपबन्ध के सिवाय, समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायं।

रिक्त के कारण समिति के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे।

4—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

समिति की शक्ति और कृत्य

5—समिति—

(क) भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता की व्यवस्था करने से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगी;

(ख) निराश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी;

(ग) निराश्रितों की सहायता के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियन्त्रण करेगी; और

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किये जायं।

समिति का कर्मचारिवर्ग

6—(1) समिति का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे;

(2) समिति, राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और उनके कृत्य तथा सेवा की शर्तों को अवधारित कर सकती है।

स्थानीय सहायता समितियां

7—(1) समिति, इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक स्थानीय सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) राज्य निराश्रित सहायता समिति के नियन्त्रणाधीन रहते हुए स्थानीय सहायता समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित किये या सौंपे जायं।

अध्याय 3

भिक्षावृत्ति का निवारण

भिक्षा मांगने का प्रतिषेध

8—कोई व्यक्ति, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम लागू होता है, भिक्षा नहीं मांगेगा।

मिक्षा मांगते हुये व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

9—(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगते पाया जाय, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय को ले जायगा अथवा भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करने पर, जब तक कि उस भू-गृहादि के किसी अध्यासी द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी को कोई मौखिक या लिखित शिकायत न की जाय, गिरफ्तार नहीं किया जायगा और न इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50, 51, 52, 56 तथा 57 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन प्रत्येक गिरफ्तारी पर लागू होंगे और थाने का प्रभारी अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को विहित रीति से तब तक रखेगा जब तक कि वह किसी न्यायालय के समक्ष न लाया जाय।

भिक्षा मांगते पाये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच

10—(1) यदि धारा 9 के अधीन कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाय, तो न्यायालय इस अभिकथन के सम्बन्ध में कि वह भिक्षा मांगते हुये पाया गया, विहित रीति से, संक्षिप्त जांच करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच तुरन्त पूरी न की जा सके तो न्यायालय उसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है और उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में, जो सुविधाजनक हो, प्रतिप्रेषित करने के आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय, जांच के लम्बित रहने तक, किसी व्यक्ति को प्रतिभू सहित अथवा रहित इस आशय का एक बन्ध-पत्र प्रस्तुत करने पर छोड़ सकता है कि वह जांच के दौरान भिक्षा नहीं मांगेगा और जब कभी अपेक्षित हो न्यायालय में उपस्थित होगा।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान न हो कि वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जाय।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिक्षुक है।

(5) न्यायालय, पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन भिक्षुक माने गये व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में, ऐसी अवधि के लिये जो छ : मास से कम न होगी और एक वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यायालय का समाधान मामले की परिस्थितियों से हो जाय कि उस व्यक्ति के द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक पाया गया है, पुन : भिक्षा मांगने की सम्भावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त है, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहे और सदाचार रखे।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् —

(क) भिक्षा मांगने के लिये आरोपित व्यक्ति की आयु तथा चरित्र,

(ख) परिस्थितियां तथा दशायें जिनमें वह व्यक्ति रह रहा था, और

(ग) ऐसे अन्य विषय जिन पर न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के हित में विचार किया जाना आवश्यक हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति प्रमाणित संस्था के अधीक्षक के पास तुरन्त भेजी जायगी।

बालक भिक्षुकों के लिये विशेष उपबन्ध

11—(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां यह पाया जाय कि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन जांच की जानी है, बालक है, वहां न्यायालय, यदि उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उस स्थानीय क्षेत्र में लागू हों, उस बालक को अवयस्क न्यायालय में भेज देगा जो उसके प्रति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ आयु अभिनिश्चित करने के लिये न्यायालय किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा करा सकता है या ऐसा अन्य साक्ष्य ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुवर्ती अपराधों के लिये शास्ति

12—(1) कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पहले निरुद्ध किया जा चुका हो, भिक्षा मांगते पाये जाने और दोष सिद्धि होने पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से दन्डित किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन पहली बार दोष सिद्ध हो तब न्यायालय उसे ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से कम न होगी और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देगा।

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दूसरी बार या पश्चात्वर्ती समय पर दोष सिद्ध हो, तो न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में पांच वर्ष की अवधि के लिये निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसी निरुद्ध अवधि को (जो दो वर्ष से अधिक की न हो) उतनी ही अवधि तक के कारावास के दन्ड में परिवर्तित कर सकता है।

भिक्षुक पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के बालक का रखना

13—जहां न्यायालय ने किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया हो, वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, उसकी पूर्ण निरोध अवधि के दौरान या उसके भाग के लिये प्रमाणित संस्था में रखने का निदेश दे सकता है।

भिक्षुक या उसके सम्बन्धियों से भरण पोषण खर्च की वसूली

14—(1) न्यायालय, जो किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देता है, यह आदेश दे सकता है कि उसके माता पिता या उसके भरण-पोषण के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस योग्य हो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अंशदान करे।

(2) यदि न्यायालय को यह समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध आदेश दिया गया है, उसके पास कोई सम्पत्ति है या वह किसी सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार है, तो वह यह

निदेश दे सकता है कि भरण-पोषण का व्यय जैसा-कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, उसकी उक्त सम्पत्ति या सम्पत्ति में अंश से वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देने का प्रस्ताव हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में जिम्मेदार पक्ष द्वारा आवेदन करने पर या अन्यथा, न्यायालय द्वारा फेरफार किया जा सकता है।

(5) कोई धनराशि जिसकी वसूली के लिये उपधारा (1) या (2) के अधीन आदेश दिया गया हो, उसी प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह दान्डिक अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

भिक्षा मांगने या मंगवाने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को सेवायोजन करने या उनका उपयोग करने के लिये शास्ति

15—जो कोई किसी व्यक्ति को भिक्षा मांगने के लिये सेवायोजित करता है या उससे भिक्षा मंगवाता है, या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा, प्रभार या देखभाल में कोई बालक हो उसे ऐसा करने की मौनानुमति देता है, उत्प्रेरित करता है या उत्साहित करता है या जो कोई किसी व्यक्ति का उपयोग भिक्षा मांगने के लिये प्रदर्शन के रूप में करता है, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास का दन्ड दिया जायगा जो एक वर्ष से कम न होगा और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा।

मजिस्ट्रेट आदि के समक्ष जाने से इन्कार करने के लिये दन्ड

16—काई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए या किसी प्रमाणित संस्था या अन्य स्थान में ले जाये जाने के लिये, जब इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा की जाय, किसी पुलिस अधिकारी या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने से इन्कार या चूक करे, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास का जो छ : मास तक हो सकता है, या जुर्माने का या दोनों का दन्ड दिया जायगा।

अध्याय 4

प्रमाणित संस्थायें

प्रमाणित संस्था

17—(1) राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा वह उचित समझे एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं का उपबन्ध और उनका अनुरक्षण कर सकती है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणित संस्था होना प्रमाणित कर सकती है।

(2) प्रत्येक ऐसी प्रमाणित संस्था अधीक्षक के प्रभार में होगी जिसे राज्य सरकार विहित निबन्धन तथा शर्त पर नियुक्त करेगी।

(3) किसी ऐसी प्रमाणित संस्था में, यथासाध्य, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य व्यवसायों के शिक्षण की तथा सामान्य शिक्षा और अन्तेवासियों की चिकित्सकीय देखरेख के लिये उपबन्ध किया जायगा।

प्रबन्ध तथा अनुशासन

18—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किया जाय, प्रबन्ध तथा अनुशासन के ऐसे नियमों, के अधीन होगा जो समय-समय पर विहित किये जायं जिसके अन्तर्गत शारीरिक या अन्य कार्य लेने और किसी ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर दन्ड देना भी है।

निरुद्ध व्यक्तियों का अन्तरण

19—ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी अन्य प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अन्तरण से ऐसे व्यक्ति की कुल निरोध अवधि में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में, उस राज्य सरकार की सहमति के बिना अन्तरित नहीं किया जायगा।

प्रमाणित संस्था से भागने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी

20—कोई व्यक्ति जो प्रमाणित संस्था के अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना या किसी अन्य विधिपूर्ण कारण के बिना, संस्था से चला जाय या इस अधिनियम के अधीन अनुपस्थिति की अनुज्ञात अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् वापस न आये, वारन्ट के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या प्रमाणित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे प्रमाणित संस्था में वापस भेज दिया जायगा।

अध्याय 5

राज्य सरकार की शक्ति

कतिपय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निरुद्ध करना

21—(1) जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध कोई व्यक्ति कुष्ठ रोगी है, या विकृत चित्त का है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाने का आदेश दे सकता है।

(2) लीपर्स ऐक्ट, 1898 और इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, यथा पूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, किसी कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या अन्य स्थान पर, किसी प्रमाणित संस्था में व्यतीत की गई निरोध अवधि को सम्मिलित करके ऐसी अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जायगा जो धारा 10 या धारा 12 के अधीन उसे किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने के लिये आदेशित कुल अवधि से अधिक हो।

(3) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति विकृत चित्त का नहीं रह गया है या उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, वहां राज्य सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति उसे प्रमाणित संस्था में यदि उसे आगे भी निरुद्ध करना हो, भेजने का आदेश देगा अन्यथा उसे उन्मुक्त करने का निदेश देगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जहां किसी भिक्षुक को विकृत चित्त या कुष्ठ रोग के कारण तुरन्त हटाना आवश्यक हो, वहां प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को उस समय तक विहित रीति से कार्यवाही करने की छूट होगी जब तक कि राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से उपर्युक्त के अनुसार आदेश प्राप्त न किया जा सके।

निरोध अवधि की समाप्ति के पूर्व अस्थायी रूप से या सशर्त छोड़ा जाना

22—(1) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को अल्पावधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त छोड़ सकता है और उसे इसके लिए लाइसेन्स दे सकता है।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स किसी भी समय विखन्डित किया जा सकता है और तदुपरान्त ऐसे लाइसेन्स पर छोड़ा गया व्यक्ति अपने को अध्यर्पित करेगा और व्यतिक्रम करने पर गिरफ्तार किया जायगा और उसे किसी प्रमाणित संस्था में उस अवधि की समाप्ति तक निरुद्ध किये जाने के लिए भेजा जायगा जिसके लिए उसे धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध किये जाने का आदेश दिया गया हो।

(3) जिस अवधि में कोई व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था से उपर्युक्त अनुज्ञा द्वारा या लाइसेन्स पर अनुपस्थित हो, उस अवधि को, प्रमाणित संस्था में उसकी निरोध-अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी निरुद्धि का भाग समझा जायगा।

(4) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति भिक्षा मांगने से विरत रहेगा तो वह किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि उसे बिना शर्त छोड़ दिया जाय और तदुपरान्त उस अवधि को जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था, समाप्त समझा जायगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भिक्षुक की स्वास्थ्य परीक्षा

23—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने के लिए आदेशित व्यक्ति की, प्रमाणित संस्था में पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जायगी।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु और स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति और मानसिक और शारीरिक स्थिति और विषशेत: इस बात की रिपोर्ट देगा कि वह व्यक्ति किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है या नहीं और वह कोई शारीरिक परिश्रम करने के योग्य है या नहीं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को भेजी जायगी और रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के लिए भेजो जायगी जो उचित समझी जाय।

प्रमाणित संस्था में तलाशी

24—प्रमाणित संस्था का अधीक्षक यह निदेश दे सकता है कि प्रमाणित संस्था में आये हुए व्यक्ति की तलाशी ली जायगी, उसे साफ-सुथरा बनाया जायगा, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जायगा और यदि उसके पास धन या अन्य वस्तु पाई जाय तो उसका निस्तारण विहित रीति से किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला द्वारा ली जायेगी।

अंगुली की छाप लेने की शक्ति

25—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये जाने के लिए आदेशित प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समय, तदर्थ नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को अपनी अंगुली की छाप लेने देगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपनी अंगुली की छाप देने से इन्कार करे, दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से दन्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकती है।

पशुओं का अभिग्रहण और निस्तारण

26—(1) धारा 9 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी पशु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके जख्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को ऐसे व्यक्ति द्वारा भिक्षा प्राप्त करने या बलात् लेने के उद्देश्य से अभिदर्शित या प्रदर्शित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत पशु को निकटतम पशु चिकित्सालय भेजा जा सकता है और उसका निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जायगा ।

अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे

27—इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।

अपील और पुनरीक्षण

28—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपील और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन दिये गये आदेश को कारावास का दण्ड समझा जायगा ।

लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति

29—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये सशक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

इस अधिनियम के अधीन लिये गये बन्ध-पत्र

30—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन लिए गये बन्ध-पत्र पर लागू होंगे ।

नियम

31—(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) समिति की शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य ;

(ख) स्थानीय सहायता समितियों का गठन, उनकी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य ;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार धारा 9 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय के समक्ष लाये जा सकने तक रखा जायगा ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त जांच करने की रीति ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के भरण-पोषण के लिये धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अंशदान किया जायगा ;

(च) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध तथा अनुशासन जिसके अन्तर्गत उससे शारीरिक और अन्य कार्य लेना और नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड देना भी है ;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन कोई निरुद्ध व्यक्ति, एक प्रमाणित संस्था से राज्य में या राज्य के बाहर दूसरी प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है ;

(ज) धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन चित्त की विकृति या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को प्रमाणित संस्था से हटाये जाने की रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रमाणित संस्था से अस्थायी अनुपस्थिति के लिये अनुज्ञा की शर्तें और अस्थायी रूप से छोड़े जाने के लिये लाइसेन्स की शर्तें ;

(ञ) वह रीति जिसके अनुसार धारा 23 के अधीन किसी भिक्षुक की चिकित्सकीय परीक्षा की जायगी ;

(ट) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के कब्जे में प्राप्त वस्तुओं के धारा 24 के अधीन निस्तारण की रीति ;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्थित किसी विषय के सम्बन्ध में फीस ;

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जा सके ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र या दो सत्र या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

———

उद्देश्य और कारण

भिक्षावृत्ति एक सामाजिक अभिशाप है और इससे देश की अप्रतिष्ठा होती है। इसका पूर्ण उन्मूलन एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में इस विषय पर कोई विधान नहीं है। एक अन्य प्रमुख कठिनाई ऐसी प्रमाणित संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये निधि की कमी है, जहां इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भिक्षुकों को निरुद्ध किया जा सके।

अतएव, इस बुराई के क्रमिक उन्मूलन तथा प्रमाणित संस्थाओं में भिक्षुकों को निरुद्ध करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिससे कि वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।

तद्नुसार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 पुरःस्थापित किया जाता है।

मोहसिना किदवाई,
समाज कल्याण मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—एल० 217 वि० सभा—(667)—1976—945।